श्री शंकर दयाल सिंह: मैडम, हम लोग बुरा नहीं मानते हैं।

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The only thing is, you continue to smile.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you ask me not to smile, I will still do that.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Let your smile be admired.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gopalsamy called me a smiling guillotine! I will continue to do that. But please cooperate so that we can accommodate as many Members as possible, to take up as many issues as possible, within the shortest possible time at our disposal. With these few requests, recommendations and suggestions, I adjourn the House for one hour. Thank you.

The House then adjourned for Lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eleven minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) *in the Chari.*

GOVERNMENT MOTION re. Draft Agriculture Policy Resolution—Contd.

डा० रणवीर सिंह (उत्तर प्रदेश): थैंक यू मैडम चेयर परसन। मैंने कल कुछ आंकड़े दिये थे गांव की हालत दर्शाने के लिए, जिनका सीधा संबंध एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। आज मैं कुछ और बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में 76.4 प्रतिशत छोटे और मार्जिनल किसान हैं, जिनके पास कुल खेती का 28.8 प्रतिशत जमीन है, 23.6 किसानों के पास 71.2 परतिशत जमीन है। दो फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास दस या दस हैक्टेयर से ज्यादा जमीन है और उनके पास कुल जमीन का 20 प्रतिशत हिस्सा है, 10 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास चार या चार हैक्टेयर से ज्यादा जमीन है और जिनके पास कुल जमीन का 49 प्रतिशत हिस्सा है। ज्यादातर किसानों के लिए खेती अनएकोनिमिक होती जा रही है। खेती के ऊपर 30 परसेंट से ज्यादा लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, बाकी दूसरे लोगों को दूसरे धंधों में डालना ही पड़ेगा।

मैडम, हिन्दुस्तान में 17 करोड़ हैक्टेयर के करीब जमीन है, जिसमें खेती की जा सकती है। इसमें 14.2 करोड़ हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जिसमें खेती की जाती है, 2 करोड़ 15 लाख 80 हजार हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जो बेकार होने की तरफ बढ़ रही है, which is prone to becoming useless,. करीब 3 करोड़ 20 लाख हैक्टेयर जमीन सूखे की चपेट में आती है, 40 से 50 लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जो सन् 2000 ईसवी तक शहरीकरण में, आबादी में आने का अनुमान है। इस एग्रीकल्चर पालिसी में इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए था।

मैडम, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक माननीय सदस्य इस हाउस में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत मालदार हैं। इनके पास ट्रेक्टर हैं, कम्बाइन हारवेस्टर हैं, बैल हैं, ऊंट हैं। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह बात सच नहीं है, किसान की हालत उतनी अच्छी नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं। किसान का हर बात से स्टेंडर्ड देखा जाए, खाने का, रहने का, पहनने का, तो मैं समझता हूं कि उनका ऐसा सोचना उचित नहीं। उन्होंने तो बल्कि यह सुझाव दिया था कि उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। किसान की ऐसी हालत नहीं है कि वह टैक्सेबल हो। हां, जिन लोगों ने खेती की आड़ लेकर अपनी इंडस्ट्रियल गुड्स का, काले धन को सफेद करने का धंधा बना रखा है, उनका जरूर इस बात में ध्यान रखना चाहिए।

किसानों की हालत, खासतौर से छोटे और मार्जिनल किसानों की हालत सबसे सबसिस्टेंस के ऊपर है, सिर्फ वह जिंदा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। खेती के लिए क्वालिटी सीड्स चाहिए, कैमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। एरीगेशन चाहिए, फार्म मशीनरी चाहिए, जो सब के सब जरूरी इनपुट्स हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं और जिनको छोटे और मार्जिनल किसान नहीं जुटा सकते। इस पालिसी से, जो पालिसी हमारे सामने आई, हो सकता है कि बड़े किसानों को कुछ फायदा हो जाए, छोटे और मार्जिनल किसानों को इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है।

अब मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्षेत्र में आता हूं। लिनसीड कॉस्टर आयल, अरहर, मूंग, उड़द की पैदावार का जो स्तर है वह पिछले करीब 30 साल से कांस्टेंट है, इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं है, मार्जिनल कुछ वृद्धि हो सकती है। गेहूं जरूर 60 के दशक में, ग्रीन रिवेल्यूशन के दौरान 10 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से 17 क्विंटल प्रति हैक्टेयर की उपज तक बढ़ गया था। उस वक्त नई

वैराइटी आई और उसकी वजह से किसानों ने जोर लगाया फर्टिलाइजर, इरिगेशन वगैरह इस्तेमाल करके वह उसमें 10 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से 17 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो गया था। अब उसके बाद करीब तीन दशक गुजर चुके हैं और गेहूं की पैदावार सिर्फ 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हुई है। 6 क्विंटल का फर्क पिछले 30 साल में है जिससे हर साल करीब 20 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की बढ़त है। अगर इसी रेट से देखा जाए तो अगले 30 बरस में हम लोगों की पैदावार 29 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हो सकती है, ऐसा अनुमान है, अगर यही स्ट आफ इन्क्रीज चलता रहे तो, लेकिन इस बीच में हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग अपने लोगों को खाना भी मुहैया नहीं करा सकेंगे। आज भी इस देश की एक तिहाई आबादी ऐसी है जो गरीबी की वजह से यह परचेजिंग पावर न होने की वजह से आधा पेट खाकर ही सोती है, आधा पेट खाना ही उनको मिलता है। आज भी एक तिहाई आबादी, करीब 30 करोड़ लोग इस तरह के हैं।

कल हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि लोगों ने बाजरा और ज्वार खाना छोड़ दिया है, वे गेहूं खाना चाहते हैं। ऐसे देश में जहां एक तिहाई आबादी आधा पेट खाकर सोती हो वहां इतनी चॉयस की गुंजाइश कहां है कि गेहूं को ही खाने की कोशिश करें और बाजरा और ज्वार न खाएं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसी तरह से एक दफा एक सवाल के जवाब में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, हमारे पास, रखने की जगह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब गोदाम भरे पड़े हैं और इतना अनाज हमारे पास है तो फिर हमारी एक तिहाई आबादी को आधे पेट भूखा क्यों सोना पड़ता है? यू०के० और यू०एस०ए० में गेहूं की पैदावार 50 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है जब कि हमारे यहां इस वक्त 23 है। आयरलैंड में गेहूं की पैदावार 74.44 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। चीन करीब 10 करोड़ हैक्टेयर से भी कम जमीन में खेती करता है, उसमें वह 36 करोड़ टन अनाज पैदा करता है और हिन्दुस्तान की खेती के बारे में मैंने बताया कि 14.2 करोड़ हैक्टेयर जमीन में हम खेती करते हैं और हम कुल 18 करोड़ टन अनाज पैदा करते हैं। उनकी जमीन हमसे बहुत कम है और पैदावार करीब-करीब दुगुनी है। ....(व्यवधान)... चीन के अंदर एक आदमी को साल भर में 330 किलोग्राम अनाज मिलता है, हिन्दुस्तान में उसकी मात्रा 169.5 किलोग्राम है, करीब आधा अनाज हिन्दुस्तान में है चीन के मुकाबले में। मेरा कहना यह है कि चीन और हिन्दुस्तान करीब-करीब एक वक्त ही सिस्टम में आए, हमको आजादी मिली और चीन उस वक्त कम्युनिस्ट बना। वहां इतनी पैदावार है और हमारे यहां कम है, मैं समझता हूं कि इसमें हमारी कहीं न कहीं कमजोरी है।

1993-94 में अनाज की पैदावार 17.91 करोड़ टन थी। इस हिसाब से आठवीं पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक जो हमारा अनुमान 21 करोड़ टन अनाज पैदा करने का था, मेरे ख्याल से उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। चावल के एरिया में हम देखें कि 30 साल में दस क्विंटल से सतह क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारी पैदावार हुई। आस्ट्रेलिया में चावल 88.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। हम पिछले 20-25 साल से गन्ना और आलू की कोई बेहतर वैराइटी पैदा नहीं कर सके। मैं जानता हूं, मेरे घर में भी खेती होती है। पहले एक वैराइटी C.O.S. 312 थी। उसके बाद C.O.S. 1148 आई। C.O.S. 1148 भी C.O.S. 312 के मुकाबले में इनफीरियर क्वालिटी थी। अब 248 के मुकाबले की भी कोई वैराइटी कम से कम नौर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती।

अगर दूध की बात हम करें, तो एक परिवार के हिस्से में 3 लीटर दूध देने वाला जानवर आता है और अगर एक जानवर का ढाई लीटर दूध का औसत मानें हम बनाएं और एक परिवार के अंदर पांच आदमी का औसत लें तो एक आदमी के हिस्से में 150 मिली लीटर दूध आता है। अगर इसमें 60 परसेंट दूध की मेन्यूफैक्चरर्ड प्रोडक्ट के लिए एलाउ करें तो एक आदमी के हिस्से में सिर्फ 60 मिली लीटर दूध आता है। तो आदमी 60 सी०सी० दूध पीकर क्या करेगा। कल हमें यह भी सुनने को मिला कि हम दुनियां में दूध के उत्पादन में दूसरे नम्बर पर हैं और पहले नम्बर पर पहुंचने वाले हैं। उस हालत में हमको 60 सी०सी० दूध मिलता है, यह समझ में नहीं आता। यह तो गनीमत है कि दूसरे देशों से मिल्क पाउडर हमारे यहां आ जाता है और हम लोगों की चाय का काम चल जाता है वरना परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा हिन्दुस्तान में काफी तादाद में जानवर स्लॉटर किए जा रहे हैं — जायज तरीके से और नाजायज तरीके से। यदि यही हालत रही तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां जानवरों की तादाद बहुत घट जाएगी और उससे दूध की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार में आया था कि हिन्दुस्तान की हुकूमत नीदरलैंड से तीन मिलियन टन गोबर आयात कर रही है। हालांकि इसके दो-दिन बाद

उसका खंडन आ गया था। लेकिन यही हालत रही तो इस पर यह जो अंग्रेजी की कहावत है:

Coming events cast their shadows.

हो सकता है कि यह भी काम हमको करना पड़े। वैसे गोबर की खाद की कमी भी है हिन्दुस्तान के अंदर। केमिकल फर्टिलाइजर जमीन को खराब ही करते हैं। आर्गनिक मैन्योर की जरूरत पड़ती है । तो हम लोगों को इस चीज की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जानवर किस गति से घट रहे हैं।

एग्रीकल्चर की जो पौलिसी हमारे सामने आई है, वह कुछ बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, यह मीडियोकर एक्सरसाईज है। यह बहुत प्रैगमेटिव भी मुझे नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि जो छोटे और मार्जनल किसान हैं उनकी हालत को, उनकी समस्याओं को सुलझाने में हुकूमत सीरियस नहीं है। वह टैक्टर नहीं खरीद सकता, वह बैल की जोड़ी नहीं मेन्टेन कर सकता। इन चीजों के लिए उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। यहां तक कि सिंचाई के मामले में भी छोटा किसान बड़े किसानों के ऊपर जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उन पर डिपेंड करता है। क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर खरीदना, उसके लिए दूर का सपना है। लिबरेलाइजेशन बड़े किसानों को तो फायदा पहुंचा सकता है लेकिन छोटे फार्मर्स को यह चौपट कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज फेसिलिटी जो एग्रीकल्चर डवलपमेंट के की-एरियाज हैं, छोटे और मार्जनल किसानों के लिए उसके कोई मायने नहीं हैं। गांव की कहावत है कि — नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े। छोटा किसान जिसके यहां बहुत थोड़ा पैदा होता है और जो अपने खाने के लिए भी नहीं रिटेन कर पाता, जिसको बाजार में तुरन्त जाना पड़ता है अपने कर्जे को वापस करने और लगान को देने के लिए, वह इससे क्या फायदा उठाएगा। छोटे किसान के लिए प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज फेसेलिटी की अलहदा पौलिसी बननी चाहिए।

छोटे किसान का जो प्रोड्यूस है, उसके लिए कोई अलहदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी क्योंकि वह अपनी उपज को रीटेन नहीं कर सकता, उसको कहीं न कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा। आर्थिक दबाव में उसे अपनी पैदावार बेचना पड़ता है। उसको जब वह तुरंत बेचेगा तो उसको पैसा भी पूरा नहीं मिलता है क्योंकि जो उसकी उपज है, उसका दाम जब वह आता है बाज़ार में, जब फ़सल होती है, उस वक्त सबसे कम दाम उसे मिलता है।

वैल्यू ऐडिशन की बात इस पॉलिसी में कही गई है। जब वह उसको रीटेन ही नहीं कर पाएगा तो वैल्यू ऐडिशन कहां से होगा, यह मुझे लगता है कि शेखचिल्ली वाला ख्वाब है कि वैल्यू ऐडिशन सब किसानों को कर सकेंगे हम लोग।

प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कही गई है। हुकूमत की कोशिश है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए लेकिन इसके जो बेसिक इनपुट्स हैं, उनको मुहैया कराने का कोई मुकम्मल इंतज़ाम मुझे नज़र नहीं आता है। बेसिक इनपुट्स में पानी है, अच्छा बीज है, खाद है, कीटनाशक दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं और क्रेडिट है। सबसे ज़रूरी पानी है। मैं अगर यू०पी० की मिसाल लूं, यू०पी० में इरिगेटेड एरिया का 30 परसेंट एरिया नहरों से इरिगेटेड है। नहरों से इरिगेशन होता है लेकिन नहरों की एफिशिएंसी सिर्फ 15 परसेंट है। अब 15 परसेंट एफिशिएंसी वाली नहरें क्या सिंचाई करेंगी और टेल ऐन्ड्स के ऊपर तो पानी पहुंचता ही नहीं है।

नहरों की सफाई और नालियों के लिए हर साल गवर्नमेंट अपने खजाने से रुपया निकालती है लेकिन नहरों में और उनकी सफाई के लिए यह खर्च नहीं किया जाता है। इस साल भी यू०पी० गवर्नमेंट ने 62 करोड़ रुपया नहरों की और नालियों की सफाई के लिए खजाने से निकाला है लेकिन कहीं नाली और नहर साफ होती हुई मुझे नज़र नहीं आई।

दूसरा बड़ा ज़रिया सिंचाई का ट्यूबवेल और पम्पसेट हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से किसान को मिलता है। मिलता भी है या नहीं मिलता है। कितने-कितने सालों तक ऐप्लिकेशन्स बिजली के कनेक्शन्स के लिए उनकी पड़ी रहती हैं और अगर बिजली का कनेक्शन मिल भी गया तो बिजली कितनी मिलती है, यह भी हम सब लोग जानते हैं। गांवों के अंदर बिजली रात को सप्लाई करते हैं। किसान को खेत के अंदर जंगल में पानी देना पड़ता है। फसल खड़ी है, उसको पता नहीं चलता कि कहां पानी आया और कहां नहीं आया। उसको बिजली रात को सप्लाई की जाती है और इंडस्ट्री में जो मकान के अंदर बैठा है, बिजली की रोशनी में काम कर रहा है फैक्ट्री वाला वर्कर, उसको दिन में बिजली सप्लाई की जाती है, इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसान को रात के अंधेरे में खेत में जाना पड़ता है। पता ही नहीं चलता है, पानी इधर-उधर चला जाता है, खेत में जाता भी नहीं, तो ऐसी

हालत में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसान को प्रॉपर सहूलियत मिल रही है या नहीं मिल रही है।

इसके बाद क्लाइमेटिक वेरियेशन्स के ऊपर मैं समझता हूं कि हम लोग बिलकुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू॰पी॰ की बात मैं आपको बताता हूं। अगर पिछले बीस साल में बारिश का हाल हम देखें और पांच साल की मूविंग ऐवरेज हम देखें तो चालीस और पचास परसेंट के करीब बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हो गई है और पच्चीस परसेंट बारिश सेंट्रल यू॰पी॰ में कम हो गई है। बारिश के पानी का कन्ज़र्वेशन जिस पर कि हज़ारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है, दस परसेंट भी नहीं है। नब्बे परसेंट पानी फ्लड के ज़रिए जमीन के ऊपर की उपजाऊ शक्ति को बहा कर समुद्र में चला जाता है। उसको हम लोग नहीं रोटेन कर पाए इतने दिनों के बाद भी। बहुत थोड़ा सा पानी इस ड्यूरेशन में ज़मीन के अंदर जाता है और नतीजा यह कि ज़मीन के अंदर का वाटर लेवल घटता चला जा रहा है। मैं मेरठ ज़िले की बात आपको बताता हूं कि पच्चीस और तीस फुट वाटर लेवल नीचे जा चुका है ज़मीन में और किसानों को अपनी मोटर को हर साल और गड्ढा खोद कर साठ-साठ फुट नीचे पहुंचाना पड़ता है।

यह हालत वहां पर है। और जो शैलो बोर वैल्स किसानों के थे, वह अधिकतर ड्राई हो चुके हैं। उनमें पानी नहीं रहा क्योंकि वॉटर लैवल नीचे चला गया है और अफसोस की बात यह है कि जो उन्होंने इन कूंओं को बनाने के लिए कर्जा लिया था, वह कर्जा उनके ऊपर बदस्तूर अभी भी बाकी है और उनके ट्यूबवैल बेकार हो चुके हैं। सीड की बात हम देखते हैं, उसका हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। स्टेट सीड कारपोरेशन को सीड का काम दिया हुआ है। उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है और वह उस सब पैसे का हिसाब-किताब लगाकर भारी मुनाफा दिखा रहे हैं। किसान से जो बीज उगवाते हैं उसको चार रुपये के किलो के हिसाब से खरीदते हैं और दो रुपये सब्सिडी के ऐडजस्ट करने के बाद जब उसको बेचते हैं तो छः रुपये फी किलो उस बीज का वह उस किसान को देते हैं। रिसर्च जो वैरायटी ऐवेल्यूएशन से संबंधित है, जैसा मैंने कहा था कि वीट के बाद जो सिक्सटीज़ में मैक्सिकन वैरायटी हम लोगों ने निकाली थी, उसके बाद कोई खास वैरायटी हम लोग पैदा नहीं कर [illegible] हैं। पल्सिज़, आयल सीड्स, शुगर केन और पटैटोज़ में हमारे पास कोई हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है। नयी वैरायटीज़ की गैर-हाजिरी में करीब दो दर्जन क्रॉप्स ऐसी है जो ऐक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, तिल, ज्वार, स्माल मिलट्स, बार्ले, चौली, जूट आदि ऐक्सटिंक्शन के वर्ज के ऊपर हैं। फर्टीलाइज़र में भी पोजीशन कुछ-कुछ ऐसी ही है। इनमें लाइसैंसिंग, फार्मूलेशन, सिंथेसिज़ ऐडल्टरेशन और होर्डिंग्स के जो स्कैंडल्स और मैल प्रैक्टिसिज़ हैं इनकी वजह से छोटे किसान को हानि उठानी पड़ती है। पीछे मुजफ्फरनगर में दो साल पहले कुछ फैक्ट्रीज थी जो पैस्टीसाइड्स और फर्टीलाइज़र बना रही थी, वहां कके डी॰एम॰ ने उनको पकड़ लिया, उनकी मैल प्रैक्टिसिज़ की वजह से और नतीजा यह हुआ कि फैक्ट्रीज को कोई नुकसान नहीं हुआ पर उस डी॰एम॰ का वहां से ट्रांसफर हो गया। ऐसी स्थिति में छोटे किसान को क्या मिलता है, फर्टीइज़र की शक्ल में या प्रैक्टीसाइड की शक्ल में, यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें कोई फर्टीलाइज़र नहीं होता, पैस्टीसाइड नहीं होता, खाली उस तरह से काम चल रहा ह। मल्टीपल क्रापिंग की वजह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रीऐंट्स की बड़ी भारी डैफ्रीसिऐंशी जमीन में आ गयी है। उसके असैसमैंट के लिए, उसके इवैल्यूएशन के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं है और जो इस तरह के सैंटर्स बने हुए हैं, वह खाली लिप सर्विस पे कर रहे हैं, कोई सीरियस काम उनमें नहीं हो रहा है।

गवर्नमेंट इंडस्टरी वाला स्टेट्स खेती को देना चाहती है। अभी तक इस तरह का कोई कानून नहीं बना कि खेती को भी इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। दूसरे वैगरीज़ ऑफ वैदर, इनऐडीक्वेसी ऑफ इनपुर सप्लाई, पुअर क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इनऐक्सैसिव टैक्नॉलॉजीकल ट्रांसफरेबिलिटी और मार्किट ऐंटीपेथी जो ऐग्रीकल्चर के साथ है, वह इंडस्टरी के साथ नहीं है। ऐग्रीकल्चर में सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट देती है और इस दफा तो ऐसा हुआ। कल माननीय मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम ऊपर जाने को, महंगा बेचने को मना नहीं करते हैं, हम तो मिनिमम प्राइस देते हैं लेकिन एक दफा मार्किट में कोई स्टैंडर्ड प्राइज तय हो गयी तो फिर उससे बहुत ऊपर जाना पॉसीबल नहीं है। जैसे इस दफा गेहूं की सपोर्ट प्राइस 360 थी। गांव में 400 रुपये तक तो गेहूं बिका लेकिन यदि यह सपोर्ट प्राइस न होती तो गेहूं का दाम और भी ऊपर जा सकता था। अब इंडस्टरी को जो फैसैलिटीज़ हैं, जैसे इंश्योरैंस की फैसैलिटी है, खेती को यह फैसैलिटी नहीं है। खेती में कुछ ही फसलें ऐसी हैं जो वह इंश्योर करते हैं और वह उन किसानों की फसले हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, उन्हीं को इंश्योरैंस का फायदा हासिल है। इंडस्टरी में ऐसी बात

नहीं है। इंडस्ट्री में जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। किसान के फिनिश प्रोडक्ट्स या अनाज के अगेंस्ट कोई लोन गवर्नमेंट नहीं देती। जो गन्ना किसान का मिल में चला जाता है, सालों उसका एरियर बगैर किसी इंटरेस्ट के पड़ा रहता है, उसको पेमैन्ट नहीं किया जाता। पिछले सालों का मुझे पता है ...(**समय की घंटी**) आपने घंटी बजा दी ...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैंने घंटी इसलिए बजा दी डा० रणबीर सिंह जी कि आपकी पार्टी का समय 34 मिनट है। कल आपने बोलना शुरू किया था और दस मिनट तक बोले और अभी आपने बोलना शुरु किया 2 बज कर ग्यारह मिनट पर। तो कल का समय और आज का समय अगर देखते हैं तो आप का टाइम पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप संक्षेप में बोलें तो बाकी लोगों को असुविधा नहीं होगा।

श्री सोम पाल (उत्तरप्रदेश): इनकी मैडन स्पीच है। इनको बोलने दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): इनकी मैडन स्पीच है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपने सिफारिश कर दी है मुझे इनको अनुमति देनी होगी।

SHRI SOM PAL: When there is a 'maiden' person in the Chair, it will be definitely considered.

डा० रणबीर सिंह: यह परेशानी खाली एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं है, खेती की बातों के लिए ही नहीं है जो एग्रीकल्चर के ऊपर दूसरी चीजें बेस्ड हैं उनमें भी यह लागू होती है। जैसे डेरी है, पाल्ट्री है, फिश कल्चर है, सेरी कल्चर है इन सब की हालत भी खेती जैसी ही है। सेरी कल्चर को हमने एक और धक्का दिया है। चाइना से हमने सिल्क इम्पोर्ट किया और सेरी कल्चर को नुकसान पहुंचा। डेरी का भी यही हाल है। अभी यहां दिल्ली के आसपास कुछ रीजन में दूध का एक सर्किल बना दिया डेरी के लिए अगर वह डेरी दूध नहीं खरीदती तो वह वेस्ट जाता है। वहां कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। किसानों को वह दूध थ्रोअवे प्राइस पर देना पड़ता है। एक बड़ा फैंसी आइडिया है फ्रूट एक्सपोर्ट का, वेजीटेबल एक्सपोर्ट का और एनीमल प्रोडक्ट्स को एक्सपोटर करने का। मैं यह बताना चाहता हूं कि फार्मर के पास क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है जो वह एक्सपोर्ट करे अपने प्रोडक्ट को। जो एक्सपोर्ट प्रोमोटर्स हैं उनको फायदा हुआ है। पिछले साल यू०पी० के अंदर 60 परसेंट एक्सपोर्टेबल वैराइटीज आफ मैंगोज थे लेकिन उसका 5 परसेंट भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ये सब ऐसी चीजें है जिसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर किसानों के पास नहीं है।

एक दफा बासमती चावल एक्सपोर्ट किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोमोटर्स ने रद्दी चावल मिलाकर वहां भेजा। वहां से रिजेक्ट हो कर आ गया। अगले साल से बासमती चावल का कोई आर्डर नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि बासमती चावल हिन्दुस्तान की मार्किट में बुरी तरह से पिटा और बहुत सस्ते दामों पर किसानों को बेचना पड़ा। इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए हम लोगों को जमीन का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि मेक्सीमम जमीन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लायक रख सके। जो ऐलाइन लैंड है उसमें ऐसी फसल हो जैसे बेर है, बेल है, आंवला है। जो ज्यादा डिग्रेडिड सॉयल है उसमें हम इंडस्ट्री खोलें। जो खेती वाली जमीन है उसमें हम इंडस्ट्री के लिए परमिशन देते हैं तो यह बहुत नुकसान की बात है हिन्दुस्तान के लिए। दूसरा, लोगों की जरूरतों को मीट करने के लिए और जमीन की हेल्थ को मैन्टेन करने के लिए हम लोगों को जमीन को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसमें से उपज भी ले सकें और उसको प्रोपर्ली मैन्टेन भी कर सकें।

जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है हम लोगों को चाहिए कि वहां बांध बनाएं नालों के पानी से, नदियों के पानी से ऐसा इंतजाम करें कि छोटे किसान कुएं बना सकें और उनसे अपनी खेती कर सकें। मैं दो-तीन चीजें और कहना चाहता हूं और केवल दो-तीन मिनट ही और लूंगा। को आपरेटिव मूवमेंट है वह गांव के अंदर करीब-करीब फेल है। गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकता है यह बहुत अच्छी तरह से चल रहा हो । लेकिन अपने यहां हम देखते हैं कि गांव की जो सोसाइटियां हैं उनके पास करीब लाखों रुपये बैलेंस हैं लेकिन रजिस्ट्रार वगैरह अपने रेडटेपिज्म की वजह से उन कोआपरेटिब्ज को फंक्शन नहीं करने दे रहे हैं।

शुगर मिलें डीलाइसेंस होनी चाहिए। हालांकि यह जरूर है कि फिर घोटाले कैसे होंगे अगर शुगर मिलें डीलाइसेंस हो गई। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर खाएगा क्या।

दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो क्रेशर हैं उनकी जो पैन है उनमें वैक्यूम पैन अलाऊ करना चाहिए। मिलों के अंदर 10 और 11 परसेंट शुगर की रिकवरी होती है। क्रैशर में 5 और 6 परसेंट है। जो गांव के किसान की रिकवरी है वह 3 परसेंट है। अगर इन

क्रेशरों में वैक्यूम पैन की सहूलियतें अलाऊ कर दी जाएं तो उनकी रिकवरी 9-1 परसेंट तक पहुंच सकती है। यह एक बहुत बड़ा नेशनल लास है। एक तरफ तो हम लोग दूसरे देशों से शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं और अपनी शक्कर हवा में उड़ रही है। खुले पैन में शुगर बनाने की बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर हम वैक्यूम पैन का इस्तेमाल करें तो शुगर की उपज बढ़ सकती है और हम लोगों को बाहर से शुगर नहीं मंगानी पड़ेगी। इससे इस देश में इतनी शुगर हो जाएगी जिससे हमारा काम चल जाएगा।

मंडी समितियां कई जगहों पर हैं। मंडी समितियों ने अपनी बिल्डिंगें भी बना ली हैं। लेकिन सिस्टम ज्यों का त्यों है। किसानों के उत्पादन को बीच वाला आदमी ही बेचा रहा है। फ्री ऑप्शन वहां नहीं होता। बोली बोलना मंडी समितियों में नहीं चल रहा है। वहां जो आदमी बोली बोलता है वह किसान की तरफ से बोलता है और किसान एक तरफ बैठा रहता है और उसका माल जिस भाव में बिकता है बेच देता है।

लैंडलेस लोगों को हम लोगों ने जमीन बांटी थी। लेकिन यह बहुत कम जमीन थी। उस जमीन पर वह न बैल रख सकता है, न कुछ रख सकता है। इससे तो वह न इधर का रहा न उधर का रहा। स्टेटस उसे किसान का जरूर मिला है लेकिन इससे मैं समझता हूं कि उसको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। अगर जमीन दी जाए तो वह इतनी क्वांटिटी में हो या इतने अमाउंट में दी जानी चाहिए जिससे वह अपनी जीविका चला सके।

भैंस खरीदने के लिए गांव के लोगों को बैंकों ने पैसे दिए थे। मैं ऐसे कई केसेज जनाता हूं। एक्जाम्पल के तौर पर एक आदमी को 10 हजार रुपया सेंक्शन हुआ। 10 हजार में से उसको 6 हजार रुपये मिले। 4 हजार रुपये बीच में बैंक मैनेजर वी॰ डी॰ ओ॰ और डाक्टर ने खा लिए। उसने 6 हजार रुपये इसलिए ले लिए की वापस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जब जमीन की नीलामी की नौबत आई तो तब पता चला। इस तरह का जो करप्ट सिस्टम है, इसको खत्म करने की जरूरत है।

गांव के किसानों को खेती के बारे में कम्पलीट इन्फ्रमेंशन देनी चाहिए कि कहां से सीड मिलती है, किस तरह उसका उपयोग होना चाहिए। हालांकि टी॰ वी॰ पर खेती वाला प्रोग्राम आता है लेकिन फिर भी इसके बारे में किसानों को और ज्यादा जानकारी [illegible] आदि पर भी देनी चाहिए। खेती के बारे में हमा. पास पोटेंशियल है। राजस्थान में जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जहां पर पानी का इंतजाम अगर हम कर दें तो वहां बहुत अनाज पैदा हो सकता है। पिछले 48 सालों में जितना पोटेंशियल हमारा खेती का था, उसको एक्सप्लाइट कर हम उसको बढ़ा सकते थे। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इम्बैलेंस है, उसमें भी सुधार लाना चाहिए। यह बैलेंस बिगड़ा हुआ है। पानी एक ऐसी चीज है उसे जहां यह ज्यादा है वहां से जहां यह कम है वहां ले जाया जा सकता है।

फर्टिलाइजर यूनिट्स सिक होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं। हम लोग खाद बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट्स जो खाद बनाने वाली हैं वे सिक हैं। मेरा कहना है कि उनको रिवाइव किया जाय और बाहर से खाद इम्पोर्ट करने को डिसकरेज करना चाहिए।

जानवरों को डेवलप करने में जो हिन्दुस्तानी नस्लें हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और बाहर से नयी नयी बैराइटी हम ला रहे हैं जब कि हिन्दुस्तानी ब्रीड बहुत अच्छी है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि कुदरत के नियम के हिसाब से या क्लाइमेटकली जहां के लिए जो चीज उपयोगी होती है, वह वहां पैदा होती है। वहीं वह सरवाइव करती हैं। हिन्दुस्तान के अंदर जो जानवर हैं वहीं हिन्दुस्तान को सूट करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान इनकी तरफ नहीं है और हम इम्पोर्टेड ब्रीड की तरफ ज्यादा ध्यान दें रहे हैं।

हमारे देश में जो छोटे-छोटे दरियां हैं वह बहुत पोल्यूटेड शक्ल में हैं। इन दरियाओं के पास कई मिले स्थापित हो गई हैं जो अपना वेस्ट बाहर फेकते हैं जो इन दरियाओं में आता है। अब वह नदियां इस लायक नहीं रही कि उनमें जानवर भी पानी पी सकें। इतना कंटेमिनेशन हो गया है कि अगर जानवर उस पानी में बैठ जाएं तो स्किन डिसीज़ हो जाना स्वाभाविक है। हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर इंस्ट्री को मजबूर होना पड़े कि दरियाओं को साफ रखें, पोल्यूट न करें। अंत में, यह जरूरी है कि एग्रीकल्चर के लिए एक लांग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिये जिसमें छोटे और मार्जिनल किसानों का भी ध्यान रखा जाए और जिसकी एप्रोच प्रेगमेटिक हो, हर सगमेंट के लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondichery): Madam Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject, Agriculture. The Ministry of Agriculture has not been discussed in the House in the last five years. I support the Agricultural

Policy Resolution which has been presented by the hon. Minister in this House.

Madam, in this country more than 85% of the population, directly or indirectly, is involved in agriculture. But the benefits meant for the farming community, whether from the State Government or the Central Government, have not reached them for the last 40 years. Our farmers are in the traditional farming area. Therefore, when the new scientific farming started, there was a dicussion going on in the country whether the farmers would be able to adapt themselves to the new system or not. But, unfortunately, in India, we know pretty well that through the traditional farming we are not able to get the required quantity of foodgrains. Therefore, scientific farming was adopted and our farmers were very quick in carrying it to the field and we are getting very good yields today. The credit should go to our farmers who are toiling in the fields for the purpose of getting more crop yields.

Madam, while appreciating the efforts of our farmers in this regard and the keen interest that the hon. Minister is taking in helping the farming community in this country, I have certain suggestions to make for the improvement of the farming sector. Let us take the water management in the agricultural field. It is very vital and very important. The hon. Minister cannot say that it is a State subject. We have discussed it today morning also. It is in the Concurrent List. As regards the inter-State water disputes, which are existing between various States—water is the main component needed for agriculture—adequate attention has not been paid to them. Madam, on the one side, we see in the Northern States that 40% to 45% of water is not being utilised and it goes to the sea. On the other side, in the Southern States, like Karnataka and Tamil Nadu, we find that there is not adequate rainfall and we have drought condition there. The hon. Minister may say that the Government of India has come to their rescue and the Nineth Finance Commission has allocated fund for drought and flood relief. I quite agree with him. But the amount given by the Central Government to the State Government for drought and flood relief is totally inadequate. Apart from that, I would like to submit that the relief operation has been started by the State Governments with their contingency funds. Once again, the affected people are the farmers. Madam, as a person coming from the farming community, I know pretty well, and the hon. Minister also knows well, that when the crop is ripe for harvest, it is damaged. Their crop is attacked by virus and the whole crop is destroyed. Ultimately, the farmer loses income out of it and his entire family suffers. As you know, Madam, in Andhra Pradesh, some of the families committed suicide because their entire cotton crop was completely destroyed by the virus attack. Therefore, the first and foremost thing is water management. Madam, it is not the job of the Ministry of Water Resources alone. I would like to stress this point. There should be a cordinated effort between the Ministry of Water Rosources and the Ministry of Agriculture. The Ministry of Water Resources has been negotiating with various State Government for harnessing water for irrigation and other allied purposes. The Ministry of Agriculture should also be involved in that so that the benefit goes to the farmers.

Madam, today morning, the Cauvery water issue was raised in this House. A dispute is going on among the different States, i.e. between Maharashtra and Andhra Pradesh, between Karnataka and Andhra Pradesh and between Punjab and Haryana. It has become a permanent problem which is going on between different States. Therefore, water management is a very important issue. In fact, the hon. Minister knows very well that linking the Ganga and the Cauvery is a very important project which was envis-

aged about 20 years back during the time of Pandit Nehru and Shrimati Indira Gandhi. But it has not taken off so far. They have not even thought of it. Then there was a project connecting the Southern region also. But that has also not taken off so far. Madam, if there is proper water management, we will be able to give to the farmers 70 per cent of the water that is available for irrigation. Today, we have come to a stage where we are going in for drip irrigation. The Northern States are starving for water because the ground water potential has got depleted. Therefore, we are going in for drip irrigation in the Northern States. So, adequate attention has to be paid in this regard. The inter-State water disputes have to be resolved. The Ministry of Agriculture also should be involved in it.

The second important thing which I would like to mention is, in the Southern States the farmers are going in for intensive cultivation. So far as rice cultivation is concerned, the farmers in the Southern States get three crops in a year. They are planting seeds of high-yielding variety. They are also planting high-yielding variety of sugarcane and cotton.

I have read the whole policy. In some States the basic necessity of electricity supply has not been fulfilled. The farmers are not getting electricity supply on a priority basis. In that process the farmers are not able to irrigate their crops though water is available. So, in this conection, the Central Government should issue a general directive to the States. The States should be told that whenever the farmers need electricity for the purpose of irrigation, they should be supplied electricity on a priority basis. It is being done in the Southern States. I do not know about the Northern States. The farming community is suffering. The farmers are spending more money on irrigation. They are using diesel engines which cost more. So, the cost of production has increased. Therefore, they are not able to get the required income. Some attention should be paid to this area also.

Madam, there is a large-scale migration from the rural areas to the urban areas. This is happening because the people are not getting regular employment in the fields. Why are they not getting regular employment? The Minister in his presentation has stated that it is due to subdivisions and fragmentations of the landholdings. Very small land-holdings are there. Moreover, if the people are assured of regular employment in the rural areas, they will not go to the cities and towns. The Government of India created a separate Ministry, the Ministry of Food Processing Industries. This Ministry is meant for the purpose of promoting agro-based industries in the rural areas which will provide employment to the people who are in the agricultural sector. As far as the production of fruits and vegetables is concerned, the statistics show that India accounts for 11% of the world's production of vegetables and 7% of the world's production of fruits. In spite of this, we are exporting fruits and vegetables and also horticultural produce to other countries for the purpose of earning foreign exchange. After the introduction of the new Economic Policy, this is being done on a larger scale. By starting agro-based industies in the rural areas, by giving employment to the rural people in the vegetable and fruit processing industries, we will be able to get value addition which will not only increase the price of the vegetables and fruits but also bring more foreign exchange for the country. Unfortunately, the number of industries that have been set up in the rural areas is minimal. Even the foreign investment that has been offered to set up various industries in the agro-based sector is also not up to the expectation. But when some industries are sought to be set up, there is widespread criticism from the other side, from the Opposition parties, saying that the industries that are coming are going to kill the industries in this country. Therefore, I am very clear in my

mind that there should be more agro-based industries. The farming community needs to be given good protection. By these agro-based industries, there will be competition in the market which will enable the farmers to sell their products at a higher price. Apart from that, because of value addition, the Government will be able to get more revenues. Therefore, the steps taken by the Government, the efforts made by the Government in this direction are welcome. But we are not satisfied with the performance that has been made. I would like to know from the hon. Agriculture Minister the areas where the agro-based industries have come up on a larger scale. On the one side, we become panicky when we find that there is going to be a lesser sugar-cane production and we import sugar from other countries. By the time the imported sugar reaches our country, there will be a bumper crop in India. Again, we become panicky because we are not in a position to sell the sugar that is available inside the market. Why don't we plan properly about the possible sugar-cane production in the country? Why are we not planning well in advance? When we know that in some areas there are drought conditions and, therefore, there will be lesser sugar-cane production, why don't we plan? Why don't we encourage our farmers? Why don't we give incentives to our farmers? Slowly, step by step, the incentives that are being made available to our farmers for the purpose of raising the crops are being withdrawn by some States. I am not pinpointing any particular State. The incentives are being withdrawn slowly, Concession is being given to the farmers in respect of electricity consumption, This concession is also being withdrawn gradually. The Government is also giving subsidy for planting high-yieling varieties. This is also being reduced. pesticides which are available on a subsidised basis are being sold without that subsidy. At a time when we realise that fertiliser is a very important and vital input. . .

3.00 P.M.

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनिट, नारायणसामी जी का ध्यान चाहूंगा। आप बार-बार सीब्सिडी और अनुदान की बात कहकर किसान को याचक और मांगने वालों की स्थिति में क्यों लाना चाहते हैं? अगर आप को उस की वकालत ही करनी है तो उस को लाभकारी मूल्य देने की बात कहिये और सब चीज इकॉनोमिक रेट पर देने की बात कहिये

My point is that you advocate a remunerative price to the farmers.

उपसभाध्यक्ष (कु० सरोज खापर्डे): सोमपाल जी, जब आप की टर्न आए, तो आप अपनी बात कह दीजिये।

SHRI SOM PAL: Madam, because he is making a point, I wish that he supports my point for giving a remunertive price to the farmers and not doles by way of subsidies. We don't want to be beggars always. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, he may have his view point. The Government of India is giving subsidy, in a way, to big farmers. But there are small and marginal farmers also who need subsidy.

SHRI SOM PAL: Please don't make a point that is not a fact. I am not a large farmer. I own only two and a half acres. That is on record. And, please amend yourself. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I am giving my view point. Let him make his point. I am expressing myself for a particular section of the farming community which needs subsidy. *(Interruptions)*

SHRI KAILASH NARAIN SARANG (Madhya Pradesh): You are not a farmer.

SHRI V. NARAYANSAMY: You can say that I am not a farmer, but...*(Interruptions)* The businessmen will not understand farming. What can I do? I can't help it. *(Interruptions)*

SHRI SOM PAL: But I have made a construetive suggestion.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes. So, Madam, I do not subscribe to this theory because, when the farmers are given subsidy, they do not become beggars. The Government is giving something to them for the purpose of enabling them to raise the yeild of their crops in the field. But you want to give them at the last stage when they go to the market. You do not know the amount of malpractices that take place in the market. So far as the fertiliser subsidy that has been given by the Government is concerned, I would like to submit to the hon. Minister that though the same amount of subsidy of Rs. 6,500/- is being released by the Government of India, because of the different methodology adopted by it, on the one side prices of a particular variety of fertilisers, especially Urea, have come down because of a reduction of 10% that has been made, and on the other hand, for other varieties, the prices have gone up by two-fold. The prices have been increased by 100% or more. The farmers are feeling its burden. The hon. Minister also knows it pretty well. I want the hon. Minister to rectify it because it affects more than 80% of our farming community. Right from 1980 till 1992, the prices of fertilisers were not increased. I accept that. At the same time, I feel that there should not be a 100% increase at a time because the farmers will feel the burden of it. As far as the support price being given to the farmers is concerned..*(Time Bell)* Madam, I have not started even. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have not started even! You have already taken 15 minutes and you say you have not started! *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, the support price which the Government is giving is not sufficient, on the one hand. On the other hand, the hon. Minister every year comes here and says that I am increasing it by Rs. 20/- or Rs. 30/- per quintal and then they go by the prices fixed by the Bureau of Agricultural Costs and Prices. *(Interruptions)* But that itself is not sufficient. I subscribe to the theory that the market price should be fixed in the market itself. Don't give them the support price at that time. You give all the facilities to the farmers at the earlier stage itself. That is my theory. That has to be done so that the farmers do not feel the burden of purchasing these items that are required for the purpose of raising their crop yield. That is what I would like to request the hon. Minister. Why are you removing the subsidy and giving it as support price? That is a different theory and the hon. Members from the other side will say, "You give more money at the time when I go to the market". That kind of a theory doesn't work. If you give it at various stages—whether it is seeds, whether it is fertilisers or whether it is electricity—the farmers will definitely be benefited by it and you will be giving it at the right time to them. Therefore, Madam, this has to be considered. Madam, there is one area where I have a complaint and on which the Members of this House will also agree with me. As far as the research that is going on in various universities and laboratories for the purpose of improving the varieties of seeds and producing high-yielding seeds is concerned, I am pained to say that even after 40 years of Independence, we find that the results of the research work have not reached them at the appropriate point of time. It takes a minimum of five to ten years. Why is it like that? The new varieties which have been developed are going to add to the welfare of farmers. It is going to increase production. The farmers are prepared to accept new varieties of seeds that have been developed by various universities and agriculutural research institutes. When a particular product comes to the farmer for the purpose of demonstration and then adopting it, it takes a pretty long time. Why does it take such a long time? This is the area on which the hon.

Minister should concentrate because by doing that alone we will be able to increase our production by more than 10% every year.

Madam, I am very proud in saying that as far as grains are concerned, its production has gone up beyond our expectations. We don't even have godowns to store them. Now there is a minds of the officials of the Ministry of Agriculture and also the Ministry of Food that non-availability of godowns would cause damage to more than 30% of our crops. Our farmers have contributed their might for achieving this record level of production. They have also made a lot of efforts for getting more varieties of seeds. We see that prices of pulses and oil are going up. What does a farmer get by this increase? At what price these commodities are being sold in market? We should also concentrate upon this area. The co-operative societies are there to protect interests of farmers. I am very happy that the hon. Minister has said that co-operative institutions will be strengthened. I find that in most of the States the co-operative institutions have not held democratic elections. These institutions are being run by nominated members. As a result of that these co-operative societies are not able to produce the desired results. Therefore, Madam, whether it is grains or whether it is pulses or whether it is sugarcane, the important things are that there should be proper planning, proper infrastructure for giving benefits to farmers and to enable the farmers to sell their produce at an appropriate price in the market. These areas should be concentrated upon by the Government.

Madam, I am very glad that the hon. Minister has said that agriculture will be given the status of an industry. I would like to read that particular sentence. In paragraph 11, the hon. Minister has stated, "The Government will endeavour to create a positive trade and investment climate for agriculture on a par with industry. The objective of the Government policy will be to develop effective system and bestow similar benefits on agriculture as exist in industry." Madam, for the last two years the Minister has been telling that industry status will be given to agriculture. Instead of stating it here indirectly, he should have stated it directly. There also the Minister says, "I am very glad that the collection of tax and all these things will not be there for the farmers." I quite welcome it and this is also going to help the farming community.

Madam, yesterday we had been listening to hon. Members one after another raising the issue of money taken from banks by the big industrial houses which is running to more than Rs. 30,000 crores. They have not paid back the debt while the small and marginal farmers are promptly paying it back. Therefore, there should be co-ordination between the Agriculture Ministry and the Finance Ministry. Grameen Banks in rural areas have been developed. This needs to be concentrated upon for the purpose of giving loans to the farming community because most of them are not getting loans. Loans that have been given to farmers reach them at the time of harvest. I have made this point in a meeting. I had told there. When the farmer raises crop, the loan does not reach. Then the farmer goes to the money lender and he becomes a debtor. This is happening. The farmer is further burdened with that. These are the areas where co-operative movement has a role to play in tying-up with institutiions so that the farmer gets the loan at lower rates of interest at the appropriate time, and to supply fertilisers when the farmer needs it.

I have an apprehension this year. Now, the Kharif season is over as far as the fertiliser is concerned. We call it 'Samba' season in South where shortage of urea will be there in the country.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Even in Punjab also. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: There is a shortage of urea. I am telling, after 3-4 months there will be a shortage of urea. I have my own source of information. *(Interruptions)* The hon. Member can clarify the position. Therefore, the hon. Minister has to plan it well in advance and must have adequate stock of fertilisers so that urea and other items are available especially in Northern States and also in Southern States so that the farmers are not affected when the sowing season comes. Madam, there are two more points and I will conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please conclude. You have taken a lot of time. *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: You are supporting the Central Government! *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I do not want to answer him now. The Minister will answer.

As far as the comprehensive crop insurance scheme is concerned, this is one area where farmers will get maximum relief. I would like to stress this point very much. That was also on the agenda of our party and the hon. Minister tried to implement it in some States, but most of the States have not implemented it in right earnest. When the crop fails, I have found, the families of farmers are in peril. They do not have any relief and ultimately they have to borrow by mortgaging their lands. Then the entire family is totally indebted. Madam, by the comprehensive crop insurance scheme, the farmers will defenitely be benefited. This should be introduced by the Government of India and implemented in all the States as a uniform policy. Then the farming commumity will get relief which will save the farming community from the clutches of debt which will, in turn, save families from total destruction. The crop insurance scheme has been successfully implemented by some of the States. The hon. Minister went and inaugurated this scheme.

We are doing very little to the farming community while the farming community is able to contribute their mite for the development of this country, whether it is raw materials or be it feeding the whole country. It is the farmers who are the backbone of the country and I find that the incentives that have been given to the farmers are not adequate. By the New Policy, I feel, they will be getting the benefit. I have given my suggestions to the hon. Minister for creating infrastructure. I would also like to suggest creating of facilities for getting more production from the farmers. The Government should not, out of panic, import when there is deficiency because of the pressure mounted on them, and when there is a bumper crop, they should find unable to push up the product in the market. That kind of situation should not be there. Secondly, water disputes among various States have to be settled. I feel the Minister can intervene in this matter. By all these things, the agricultural sector can definitely be saved. With these words, I conclude, Madam. Thank you.

श्री सोमपाल: उपसभाध्यक्ष महोदया, आज का दिन मेरे लिये अतीव प्रसन्नता का दिन है कि कृषि जैसा महत्वपूर्ण विषय जिसका इस देश की अधिसंख्या से संबंध है, जिसका संबंध इस देश की रोजी-रोटी और सबसे बड़े रोजगार देने वाले व्यवसाय के रूप में है, उसके ऊपर आखिरकार एक चर्चा सदन में हुई। चिर-प्रतीक्षित यह चीज थी और खेद के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता-पूर्व से अब तक कृषि को प्राथमिकता देने की बातें जितनी कहीं हर सरकार ने, मैं इसमें अपनी सरकार को भी सम्मिलित करता हूं पर कृषि नीति संसद में चर्चा के लिये नहीं आई, यह इसकी अपेक्षा का प्रथम प्रमाण है। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को, माननीय कृषि मंत्री जी को कि वे इस नीति को संसद में चर्चा के लिये ले आये। उसकी उपेक्षा का एक और प्रमाण यह है कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं जो कृषि और ग्रामीण विकास की बात

को प्राथमिकता देने की बात नहीं कहता हो पर आज की उपस्थिति को देखकर मुझे निराशा हुई।

श्री जगेश देसाई: फिर भी काफी है।

श्री सोमपाल: मैं सांसदों की उपस्थिति की बात कर रहा हूं और कृषि मंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं और इतनी रुचि से सुन रहे हैं, उसके लिये मैं साधुवाद देना चाहता हूं।

पिछले सत्र में भी विषयावली में यह रखी गई थी पर रोजाना अंत में रखी जाती थी और करते-करते सत्र समाप्त हो गया पर खैर सौभाग्य से यह आई। वैसे तो इस नीति का नाम कृषि नीति न हो कर कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण नीति होना चाहिये और मैं दया करता हूं कृषि मंत्री महोदय की सीमाओं पर, उनके अधिकारों की कमी पर कि वे इनमें से केवल एक विषय के अधिकारी हैं। न बिजली के ऊपर उनका अधिकार है, न ग्रामीण विकास के ऊपर अधिकार है, न खाद्य के प्रबंध के ऊपर है और न खाद्य प्रसंस्करण के ऊपर और इन सब को जब तक संयुक्त रूप से एक समग्र विद्या के रूप में नहीं रखा जाए कृषि और ग्रामीण विकास की बात करना, पूरी बात नहीं हो सकती, वह अधूरी बात रहेगी और यह खेदजनक टिप्पणी है। यदि मुझसे पूछा जाए और मुझसे ही नहीं बल्कि अधिकांश सांसदों में पूछा जाए, भारत की जनता से इसके ऊपर मतदान कराया जाए तो बहुमत इस पक्ष में रहेगा कि इन पांचों विषयों को मिला कर एक मंत्रालय रखा जाए और उसके अंतर्गत इन विषयों के लिये राज्य मंत्री रखे जा सकते हैं तभी पूरा सामन्जस्य पूर्ण कार्य हो सकता है, तभी सारा को आर्डिरेशन ठीक से चल सकता है।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): सोमपाल जी, एक मंत्रालय बनाया जाए और उसका मंत्री बलराम जाखड़ जी को बनाया जाए।

श्री सोमपाल: आज की तारीख में तो कोई विकल्प नहीं है सिर्फ डा० बलराम जाखड़ के, बाकी तो राजनीति में परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। तो मैं सरकार से पहला निवेदन तो यह करूंगा कि यदि कृषि और ग्रामीण विकास को उन्होंने समेकित रूप से विकसित करना है तो मेरे इस सुझाव के ऊपर सरकार गौर करे कि एक महामंत्रालय, मेगा मिनिस्ट्री बनाई जाए और उस मंत्रालय के अंतर्गत इन विभिन्न पांच विषयों या अन्य विषयों के लिये उत्तरदायी पांच राज्य मंत्री अथवा छह, जितने भी आवश्यक हों, रखे जाएं ताकि सबके तालमेल से काम ठीक से हो सके।

नहीं तो बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे निर्णय इसी वजह से लागू नहीं हो पाते कि आपसी मंत्रालयों की विषयावली में और राज्य और केन्द्र के झगड़ों में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। तो पहला तो नीति के संबंध में इस कृषि नीति में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यह बड़े दुख की बात है। सरकारें सदा से प्राथमिकता की बात कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि सर्वप्रथम हमारी चिंता का विषय होना चाहिए, हमारा सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए क्योंकि 74.3 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है और देश की दो तिहाई जनसंख्या, लगभग 68 प्रतिशत के करीब सीधे-सीधे कृषि पर आधारित है। कृषि आज भी सबसे बड़ा रोजगार देने वाला व्यवसाय भारत देश का है। राष्ट्र की संपूर्ण खाद्य और पौष्टिकता की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य कृषि करता है। उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल कृषि पैदा करता है और चीनी, सूती कपड़ा,पटसन, रेशमी कपड़ा, दुग्ध प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग जिनका पूरे औद्योगिक उत्पादन में आज भी सर्वाधिक अंशदान है, वह सारे कृषि पर सीधे-सीधे आधारित हैं और इतना ही नहीं, कई बार कुछ वर्ग जिनमें कुछ राजनीतिक दल भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह शिकायत करते हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को विशेष वरीयता सरकार अपनी नीतियों में देती रही है, छूट देती रही है। एक बार हमारे माननीय वरिष्ठ साथी, कम्यूनिस्ट सांसद अभी यहां है नहीं, उन्होंने कहा था कि

> "Agriculture still remains the most pampered section of the Indian economy which nobody can buy, even Government would not buy this theory."

तो इस प्रकार की बात कहना किसान के हित और राष्ट्र के हित के ऊपर चोट करना है और उसके ऊपर अपनी अनभिज्ञता और अज्ञानता को ही दिखाना है, इसको कोई मान नहीं सकता है क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े हैं। तीन-चौथाई श्रमिक बल, लेबर फोर्स आज भी गांव से आता है। जितने भी सुरक्षा दल है, सैनिक और अर्ध सैनिक, उनके लिए सैनिक और छोटे अधिकारी सारे गांव के यहां से आते हैं। और विश्व में भारत के उत्पादन का फल और दूध में स्थान, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दूसरा है, बहुत गौरव की बात है। धान-21.2 प्रतिशत, मूंगफली सारे विश्व का 32.9 प्रतिशत, गेहूं लगभग 10 प्रतिशत, गन्ना लगभग 22 प्रतिशत, जूट और पटसन 45 प्रतिशत, कपास 10 प्रतिशत और तम्बाकू 7.3 प्रतिशत भारत आज भी पैदा करता है और यदि कृषि उत्पादन की

संभावनाओं को ध्यान में रखें तो हमारा बहुत सौभाग्यशाली देश है क्योंकि पूरे विश्व का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, उसका केवल 11 प्रतिशत कृषि योग्य है जबकि भारत के पास भौगोलिक क्षेत्र की 52 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है और 15 की 15 जलवायु जो विश्व भर में पाई जाती हैं, वह भारत में पायी जाती है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर भूमध्य रेखीय ऊष्ण जलवायु तक सारी 15 की 15 जलवायु जो विश्व में है, वह भारत में पायी जाती है। अकेला भारत देश ही इतना सौभाग्यशाली है। वर्ष भर यहां सूर्य चमकता है जिसमें बायोमास प्रोडक्शन का, जिसको वेद में "सविता" कहा है। "सवितर्दुरानि परासु भद्रेः" वेद मंत्र में आता है, यह सविता जो सारी ऊर्जा का मूल स्रोत है, भारत के ऊपर उसकी अनन्य कृपा है। विश्व के किसी अन्य देश में सूर्य इस प्रकार और इतने विभिन्न तापक्रमों में नहीं चमकता जितना भारत के ऊपर चमकता है। और जलराशि वर्षा के रूप में, नदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में और जलाशयों के रूप में इतना जल हमारे पास है कि 83 प्रतिशत भूमि को हम निश्चित रूप से सिंचाई मुहैया करा सकते हैं। उपजाऊ भूमि की बात करें तो विश्व में 63 प्रकार की प्रमुख मृदाएं मिलती हैं जिसमें से 43 भारत में विद्यमान हैं और अगर जैव सम्पदा, बायो डायवर्सिटी की बात करें तो इतनी बड़ी पौध, इतने सारे वन्य प्राणी इतने सारे दुधारू और खेत में काम करने वाले पशु और इतनी विविधता विश्व के किसी देश में नहीं है, जितनी हमारे पास है। इसके बाद भी देश गरीब हो, किसान गरीब हो, यह बड़े दुख की बात है। इन सबका उचित उपयोग नहीं हो पाया इसलिए हमारी 40 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे है जो बहुत दुखद बात है। सरकार आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति और ग्रामीण जीवन स्तर के सुधार की बात कह रही है, यह निर्विवाद बात है, सब मानते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत प्रगति की है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और विशेषकर जब से हमने नियोजन प्रणाली को स्वीकार किया प्रथम योजना के साथ, हमने बहुत प्रगति की है। लेकिन यह भी कटु तथ्य है कि पूरे देश की समूची प्रगति उस अपेक्षित दर से नहीं हुई जिस दर से होनी चाहिए थी और जितनी हुई उसका अधिकांश भाग गैर ग्रामीण और शहरी उद्योगपतियों और व्यापरियों ने हड़प लिया। किसानों को उसमें उसका भाग नहीं मिला जिसका सीधा-सीधा प्रमाण यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 81 प्रतिशत जनसंख्या गांव में थी और आज भी 74.3 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 7 प्रतिशत की कमी इसमें आई है जबकि कृषि के पूरे हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो 61 प्रतिशत भाग था, अंशदान था वह आज 36 प्रतिशत रह गया। सीधे-सीधे इसका अर्थ यह है कि 60 प्रतिशत के ऊपर उस समय 81 प्रतिशत जनसंख्या आधारित थी और आज 30 प्रतिशत आमदनी के ऊपर 74.3 प्रतिशत। जो ग्रामीण और गैर ग्रामीण लोगों की आय में अंतर था एक प्वाइंट दो का, आज वह अंतर बढ़ कर एक प्वाइंट साढ़े छः हो गया। इसके कारण ग्रामीण लोगों का अल्पभाव, उनकी हताशा, उनकी निराशा और उनकी समस्या अधिक जटिल हुई है और इसीलिए ग्रामीण हिंसा, वहां उभर रहा आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण समुदाय अत्यंत निराशा और हताशा में भटक रहा है। उसकी कृषि और कृषि संसाधनों की हमने चर्चा की, प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा की इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रायल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1936 भारत में बना था, ब्रिटिश शासनकाल में। उसकी यह टिप्पणी है कि सबसे प्राचीन कृषि की तकनीकी जानकारी भारतवर्ष को थी दस हजार वर्षों से। यह सब को ज्ञात है, यह नॉन हिस्ट्री है एग्रीकल्चर के बारे में। जो हमारी पारम्परिक विजडम है, जो हमारा इसमें निष्णात है, जो हमने इसमें तकनीकी विकसित की है हजारों वर्षों तक उसका विश्वभर में मुकाबला नहीं है। उस सब का समुचित उपयोग नहीं हुआ, कृषि मंत्री जी। उसमें तीन प्राकृतिक संसाधन हैं—भूमि, जल और जैव विविधता। भूमि के बारे में मेरे साथी सांसद डा॰ रणबीर सिंह ने कहा। हमारे पास कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.9 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें से 144 मिलियन हैक्टेयर पर खेती होती है यदि शुद्ध खेती माने और यदि समग्र माने दो फसलों की तो 165 मिलियन हैक्टेयर है। आज भी 91 मिलियन हैक्टेयर भूमि ऐसी पड़ी हुई है जिसमें 52 मिलियन हेक्टेयर भूमि वन लगाने के और 39 मिलियन हेक्टेयर भूमि खेती करने के काम आ सकती है यदि वह भूमि खाली पड़ी रहती तो कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन गम्भीर चिंताजनक बात यह है उपजाऊ भूमि का ह्रास हो रहा है। उनकी भूमि का कटाव हो रहा है। मिलियन्स आफ टन उपजाऊ भूमि की ऊपरी परत जिसका मां प्रकृति 300 वर्षों में एक इंच निर्माण करती है, एक वर्ष में एक सेंटीमीटर की दर से कट रही है। जितना 300 वर्षों में प्रकृति ने कमा कर दिया, संजो कर दिया कृषि उत्पादन के लिए इसका हम तीन वर्ष में अपने अज्ञान या अपनी अकर्मण्यता से अपव्यय कर रहे हैं। यह चिंताजनक विषय है। इसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी आपकी

नीति में कोई ठोस सुझाव नहीं आया, यह दुखद बात है। मैं चाहता हूं इसको सम्मिलित कर लिया जाए। **(व्यवधान)** सब निदान हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं आलोचना के लिए नहीं बोल रहा हूं। समय बहुत कम है। आप चाहें तो मेरे से अलग से चर्चा कर सकते हैं। इस गम्भीर बात को मजाक में मत उड़ाइये।

भूमि की उपलब्धता की बात है। जनसंख्या वृद्धि और भूमि, गैर कृषि उद्योग के कारण आज स्थिति यह हो गई है कि प्वाइंट 16 हैक्टेयर भूमि प्रति व्यक्ति भारत के व्यक्ति के हिस्से में आती है। यदि इसी प्रकार गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि का उपयोग होता रहा, जनसंख्या वृद्धि होती रही तो सन् 2000 तक प्वाइंट 14 रह जायेगी। केवल 900 वर्गमीटर जिसमें एक आदमी के लिए पूरे खाद्यात्र उत्पादन करने की भी क्षमता नहीं रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि भूमि रबर है उसको बढ़ाया जा सकता है। कृषि मंत्री जी कहते हैं उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हम भी जानते हैं और सब जानते हैं उसको दोहराने की बात नहीं है। लेकिन उसको गैर कृषि कार्यों के लिए अंधाधुंध और विचार शून्य उपयोग हो रहा है उसके ऊपर आप पाबन्दी लगा सकते हैं।

इसके लिए आपकी नीति में कोई प्रावधान नहीं है, कोई चर्चा नहीं की गयी है। शहरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, सड़कों के लिए, नहरों के लिए, हवाई अड्डों के लिए, पावर हाउसेज के लिए, सब चीजों के लिए आप भूमि का उपयोग करेंगे और ये भूमि के ऊपर रहेंगे, आसमान में नहीं बनायेंगे। इसलिए कानून बनना चाहिए कि कृषि के लिए जो भूमि उत्पादक या उपजाऊ नहीं है, उसके ऊपर यह किया जाएगा। जितनी जल्दी हो इस प्रकार का कानून कृषि मंत्रालय को पाइलट करना चाहिए, पाइनियर करना चाहिए। लेकिन इसकी आपकी कृषि नीति में कोई चर्चा नहीं है।

भूमि की जोत का आकार, अभी डा० रणवीर सिंह ने कहा। आंकड़े इस प्रकार हैं कि 57.8 प्रतिशत किसान सीमांत किसान हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। इनकी औसत जोत भूमि का .39 है। 18.4 छोटे किसान हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है। औसत इनकी जोत 1.43 है और 13.6 अर्ध मध्यम किसान है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। इनका औसत 2.77 है। इस प्रकार उपसभाध्यक्ष महोदया, 89.8 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो अलाभकारी जोत के मालिक हैं और 8.2 प्रतिशत मध्यम किसान हैं जिनके पास औसतन 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है, जिसका औसत 5.6 हेक्टेयर आता है जो कि काम चलाऊ है। जो लाभकारी जोत है वह केवल 2 प्रतिशत उन बड़े किसानों के पास है जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है और जितने कब्जे में केवल 20 प्रतिशत भूमि है। इसका अर्थ यह हुआ कि 80 प्रतिशत भूमि के ऊपर उन लोगों का कब्जा है जिनकी जोतें अलाभकारी हैं। इसके लिए एस०आर० सेन कमेटी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बिठायी थी और फिर चोकाराव जी की अध्यक्षता में एक कृषि समिति बनी थी। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो अलाभकारी जोतें हैं— जो लोग गांवों में नहीं रहते, हम जैसे लोग जो शहरों में आ गए है, उन्हें इस बात की इजाजत दे दी जाए कि वे अपनी भूमि पट्टे पर अपने साथी, पड़ोसी, अपने भाई या परिजनों को दे सकें। इससे जोतों को अलाभकारी न बनने में मदद मिलेगी। मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस सुझाव पर ध्यान दे। यह बहुत पुराना सुझाव है क्योंकि लीज पर देना लैजिटिमेट नहीं है इसलिए इस तरह की भूमि बेकार पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपनी जमीन लीज पर दे दे तो उस पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। मैं कृषि मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें और इस ओर कदम बढ़ायें।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि हरित क्रांति जो हुई, उत्तर प्रदेश में जितनी कृषि में प्रगति हुई है वह चकबंदी और अच्छे प्रबंधन होने से हुई। चकबंदी होने से भूमि के अलग अलग टुकड़े जो अलग अलग हिस्सों में बंटे रहते थे, दूर-दराज के क्षेत्र में पड़ते थे, वे इकट्ठे कर दिए गए और उस भूमि में सिंचाई का अच्छा प्रबंध कर दिया गया। मेरा सुझाव है कि चकबंदी को केंद्रीय सरकार द्वारा कानून के माध्यम से या मुख्य मंत्रियों को रजाबंद करके अनिवार्य करना चाहिए। 1991 में हम बिहार गए। आज हमारी सरकार वहां है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, हमारे बिहार के साथी यहां बैठे हैं। हमने वहां के मुख्य मंत्री को कहा, लेकिन वे 5 या 7 करोड़ के प्रशासनिक व्यय के कारण वहां पर चकबंदी नहीं कर रहे हैं और एक बड़ी उपजाऊ खेती की संभावव्यता से देश के किसानों को वंचित कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि केंद्रीय सरकार कृषि संबंधी या सिंचाई संबंधी अनुदान उन्हीं राज्यों को दें जो इसकी कम्पलाइंस रिपोर्ट दें कि हमने चकबंदी अपने यहां कर दी है अन्यथा उनक अनुदान रोक दीजिए, चाहे इसमें बिहार ही क्यों न हो।

परती भूमि के विकास का जहां तक सवाल है, 39 मिलियन हेक्टर खेती के लायक यह पहले के आंकड़े हैं। 1991 की फाइडिंग्स के बाद हो सकता है कि इसमें

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, please allow him.

उपभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप कृषि के बारे में बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं।

श्री सोमपाल: पिछली बार 8 घंटे का समय तय किया गया था, अब 4 घंटे समय रखा गया है। कुछ कमी आयी हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लाभकारी जोतों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर इस भूमि को किसानों, टेक्नीकल ग्रेजुएट्स को, शिक्षित बेरोजगारों को, भूतपूर्व सैनिकों को, सीमांत छोटे और मध्यम किसानों को देने का एक कार्यक्रम सरकार चलाएं। इसके अन्तर्गत तीन साल के अंदर आप 3 से 4 करोड़ परिवारों को रोजगारी दे सकते हैं साथ ही जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसकी रक्षा करने की भी गांरटी कर सकते हैं।

भू-स्वामित्व का रिकार्ट, ब्रिटिश शासन में जिस तरह का रिकार्ड था आज वह उससे ज्यादा खराब है। इस रिकार्ड को अप-टु-डेट करने की कोई चर्चा नहीं है। आज संगणकों और कम्प्यूटर्स का अविर्भाव हुआ है। इसके बाद भी इन रिकार्ड्रों को ठीक करने का, इनको दुरूस्त करने की तरफ कोई कार्यवाही करने की बात मेरी समझ में नहीं आती। इसके कारण बहुत से अवाइडेबल झगड़े गांवों में हो रहे हैं। इसके कारण वहां हिंसा, आगजनी और एक दूसरे की जमीन हड़पने के काम हो रहे हैं। रिकार्ड ठीक न होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी और हिंसा भड़क रही है। इसके बारे में आपकी नीति में कोई चर्चा नहीं है। मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री इस बारे में निर्देश जारी करें।

जल संसाधन हमारा दूसरा प्राकृति साधन है। मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि हमारे पास इतने जल संसाधन हैं कि 83 प्रतिशत भूमि को सिंचाई के लिए जल दे सकते हैं। परन्तु 48 वर्ष के बीतने के बाद और लगभग 45 हजार करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं के ऊपर खर्च करने के बाद केवल 16 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध हमने किया है जिसमें से लगभग 4.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि तो जलमग्नता, लवणता या दूसरे कारणों से खराब हो गई, शुद्ध रूप से 12 मिलियन हेक्टेयर का इंतज़ाम हम कर पाए हैं जबकि हमारे पास जल संसाधन इतने हैं कि 83 प्रतिशत भूमि की सिंचाई हम कर सकते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि सिंचाई नीति को कृषि नीति का अंतरंग और अभिन्न अंग के रूप में बना कर सिंचाई मंत्रालय को या अपने साथ मिला लीजिये या उनके साथ मिल जाइये नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। सूखी खेती के बारे में बात की जाती है। कोई ऐसी पैदावार नहीं है दुनिया में जो बगैर जल और बगैर आद्रता के हो सकती है (समय की घंटी) महोदया, मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे आप अतिरिक्त समय दें। अगर मैं कोई अनर्गल बात कहूं तो मुझे आप रोक दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको समय जरूर दिया जाएगा। आपकी पार्टी को 28 मिनट का समय दिया गया है और आपकी पार्टी के दो सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सोमपाल: दूसरे नहीं बोलेंगे।

श्री बलराम जाखड़: बोलने दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको समय जरूर दिया जाएगा।

श्री सोमपाल: आज तक जितना हमारा सकल कृषि क्षेत्र है, उसका केवल 33.3 प्रतिशत सिंचित हो पाया है। 67 प्रतिशत के करीब अभी भी वर्षा और मानसून भगवान के सहारे पर चला आ रहा है। उसमें सिंचाई का प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है। दो तिहाई हिस्से में सूखे और बाढ़ की विभीषिका समान रूप से एक नहीं तो दूसरे वर्ष प्रकट हो जाती है जिसके कारण राष्ट्र को भी और हमारी जनसंख्या को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। वनों के कटाव और भूक्षरण से बांधों में मिट्टी का जमाव, गाट का जमाव हो रहा है। उनकी आयु घट रही है। उसको ठीक करने के लिए कृषि नीति में कोई चर्चा नहीं है। भाखड़ा डेम आप जानते ही है, आप ही के राज्य का है। इसकी आयु पहले डेढ़ सौ वर्ष आंकी गई थी फिर 120 वर्ष आंकी गई, फिर 100 वर्ष और अब तो यह कहा जा रहा है कि 60-70 वर्ष में अनसर्विसेबल हो जाएगा। उसके बाद इसकी जल भंडारण क्षमता समाप्त हो जाएगी। उसके कैचमैंट एरिया में वन्यकरण के लिए, भूमि का कटाव रोकने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम हो और उसके अनुरूप संसाधनों का आबंटन होना भी जरूरी है।

नहरों के रखरखाव की बात। जिस प्रकार की नहर प्रणाली ब्रिटिश शासन हमें दे गया था मेरे सामने उदाहरण है पश्चिमी यमुना केनाल और पूर्वी यमुना नहर का और हमारी गंग नहर का जो उस समय विश्व की सब से बड़ी प्रणाली थी। उसके बाद आपका यह भाखड़ा और राजस्थान केनाल उससे बड़ी हो गई है। उनके रखरखाव की स्थिति इतनी खराब है कि जितनी उसकी वाहन क्षमता है उसकी एक तिहाई रह गई है।

हमारी पूर्वी यमुना नहर का जो कृषि कमांड क्षेत्र था, वह पहले से घट कर 32 प्रतिशत रह गया है। उसके ऊपर अधिकारियों की फौज है, जितने पहले थे उससे सात गुना हो गई है। जब हमने यह बात पूछी सिंचाई मंत्रालय के अधिकारियों से और सिंचाई मंत्री जी से तो उन्होंने कहा कि 180 रुपये प्रति हेक्टेयर उसके रख-रखाव के लिए आवश्यक धन है और हमारे पास आता है कुल 100 रुपया जिसमें से 90 रुपया वेतन में चला जाता है। यह वांछित है या नहीं, क्या इतना भार वहन करने की क्षमता है या नहीं? क्योंकि इससे पहले एक तिहाई अधिकारी अच्छी तरह से प्रबन्ध करते थे और आज सात गुना है फिर भी उसका प्रबन्ध खराब है। टेल पर पानी नहीं जाता है, पटरियां टूटी पड़ी हैं, नहर खोदी नहीं जाती है और कृषि कमांड क्षेत्र के लिए जो नालियां बननी थी वह नहीं बनी। इसके लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने बहुत स्तुत्य और प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अपने राज्य के इस प्रयोग को दूसरे राज्यों में ले जाने का कुछ विचार करें और उन राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों, सिंचाई मंत्रियों को इस दिशा में प्रवृत करें। केन्द्र की तरफ से उन्हें सहायता देने पर इस अनुशासन के साथ वे उसके ऊपर व्यय करें। नहरों के रखरखाव की स्थिति यह है कि 4.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब नहरों और रिसाव के कारण जलमग्न हो गयी है। उनकी लाइनिंग का कोई प्रबंध नहीं है। उसके और भी उपाय हैं। वह एक लम्बा विषय है। कृषि मंत्री महोदय मेरे से बेहतर जानते हैं। उसको करना चाहिए। वाष्पीकरण और रिसाव की स्थिति यह है कि बांध के दरवाजे से लेकर खेत तक पहुंचने में 38 प्रतिशत पानी या तो उड़ जाता है या रिसाव होकर बेकार चला जाता है। जो 62 प्रतिशत पानी खेत तक पहुंचता है हमारी पुरानी प्राचीन जो बाढ़ पद्धति है जिसको फ्लड इरीगेशन या ग्रेविटेशनल इरीगेशन कहते हैं उसके कारण केवल 15 प्रतिशत पानी पौधा इस्तेमाल कर पाता है यानी जितना जल हमने भाखड़ा या दूसरे बांधों और जलाशयों में इकट्ठा किया था वहां से पौधे से काम केवल 10 प्रतिशत आता है, बाकी 90 प्रतिशत बेकार चला जाता है। इसका सुचारु रूप से उपयोग करने के लिए स्प्रिंकलर टैप और ड्रिप इरीगेशन जैसी जो आधुनिक प्रणालियां हैं उनका उपयोग हो। उसके लिए कृषि नीति के ऊपर टिप्पणी करते हुए समिति ने बहुत जोर से लिखा है। इसमें हमने आप लोगों को यह सुझाव दिया, यह निवेदन किया कि बजाए आप इसके ऊपर सब्सिडी दें—मैं जानता हूं कि आपने सब्सिडी दी है और बहुत हिम्मत करके सरकार से लड़ करके 50 प्रतिशत सहायता किसानों के लिए उपलब्ध कराई है, मैं आपको पुनः बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं पर फिर वही किसान को याचक बनाने की बात है — हमारा निवेदन यह है कि प्लास्टिक का पाइप जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उस प्लास्टिक के पाइप के ऊपर जितनी भी कस्टम ड्यूटी है आयात पर, जितना भी सेल्स टैक्स है या जितना उत्पादन की एक्साइज ड्यूटी है उसको प्रथम बिंदु के ऊपर समाप्त करके निरस्त करके इसको सस्ता किया जाए न कि एक फौज लेकर पहले तो उस टैक्स को इकट्ठा करें, इसमें भ्रष्टाचार फिर उसको सब्सिडी देते समय भ्रष्टाचार हो और किसान को याचक के रूप में आपके सामने आना पड़े। कृषि समिति की जो हमारी टिप्पणी है यह 12 नम्बर पर आपके पास जा चुकी है कृषि नीति पर चर्चा करते हुए। इसमें यह महत्वपूर्ण रूप से हमने स्थापित किया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे।

अब गिरते भूमिगत जल स्तर की बात करना चाहता हूं। बहुत चिंताजनक रूप से भूमिगत जल का स्तर देश के प्राय सभी भागों में, सभी राज्यों में गिरता चला रहा है क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ तब से आपने नियोजित विकास का काम शुरू किया और 1951 से, सदा से हमारा जोर इस बात के ऊपर रहा है कि मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया जाए। उसके बाद लघु सिंचाई का विकास हो जिसे माइनर इरीगेशन कहते हैं। दोनों में खतरा है। एक तो मैं आर्थिक दृष्टि से इसको विचारशून्य मानता हूं क्योंकि नियोजन में एक महत्वपूर्ण निर्णय, क्रिटिकल डिसिजन यह होता है कि एक रुपया इस विधा के ऊपर खर्च करें या उस पर, किसमें ज्यादा लाभ होगा राष्ट्र और समाज को। 35 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मध्यम और बड़े आकार की सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च होता है - एक हेक्टेयर का प्रबंध करने में और लघु सिंचाई में, माइनर इरीगेशन में 7,330 रुपये होते हैं। उसका अंतराल 12 से 15 वर्ष है और लघु सिंचाई की परियोजनाओं का विकास बहुत नगण्य समय में, हफ्तों और महीनों में हो जाता है। तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि लघु सिंचाई योजनाओं की बजाए बड़े आकार की योजनाओं पर आप खर्च करें। 289 के करीब आपने योजनाएं प्रारंभ की जब से हम आजाद हुए और इनमें से केवल 65 पूरी हो पायी कि बाकी सब बेकार पड़ी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक जितनी भी लम्बित योजनाएं पड़ी है वे पूरी न हों किसी नयी योजना का संकल्प सरकार न करे और उनको पूरा करने का प्रयास करें। दूसरा बिंदु है कि लघु सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया जाए। पर लघु

सिंचाई में एक कठिनाई यह है कि भूमिगत जल स्तर बहुत गति से नीचे गिर रहा है। 200 से अधिक ब्लाक आप भूरे और काले, ग्रे और डार्क एरिया घोषित कर चुके हैं जिनमें 65 से 85 और 100 प्रतिशत तक भूमिगत जल का उपयोग और शोषण हो चुका है। उनको आप भूरे और काले क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि एक बहुत समग्र और समेकित एक तीसरी विद्या है। जिसको जलधारा, पनधारा या वाटरशेड मैनेजमेंट, प्रबंधन की तकनीक कहा जाता है। उसमें केवल ढ़ाई से तीन हाजर रुपय प्रति हेक्टेयर खर्च होता है और 5 वर्ष में पूरे भारत के 83 प्रतिशत भाग के ऊपर आप सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आपकी कृषि नीति के अंदर यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए और यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था कि वाटरशेड मनेजमेंट में सारा आवंटन किया जाएग। जब तक भारत में वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रबंध न हो तब तक इन बड़ी और मध्यम आकार की योजनाओं के ऊपर खर्च बंद कर दिया जाएगा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण और बहुत सफल प्रयोग भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में रालेगढ़ सिटी में एक भूतपूर्वक सैनिक ने, एक बहुत छोटे अधिकारी श्री अन्ना हजारे ने किया है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रालय ने तो इसमें बहुत अग्रणी भूमिका अदा की है पर आपकी सरकार ने केवल 1100 करोड़ रुपये आठवीं पंचवर्षीय योजना में दिए हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इस गति से भारतवर्ष में उस स्कीम को फैलाने में 260 वर्ष लगेंगे। यदि आपको यह करना है तो कृषि समिति ने उसके लिए एक बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिया था कि 30 हजार करोड़ रुपया जो ग्रामीण विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित हैं, उसमें से कम से कम आधा पनधारा योजना के तहत खर्च किया जाए। इससे रोजगार भी मिलेगा और भारत के बहुत सारे हिस्से के लिए जहां उत्पादन कम है, गरीबी है, वहां उन लोगों को रोज़गार और उनको अतिरिक्त आमदनी के साधन बनेंगे। मैं कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सदन और हम सारे जो लोग इसके प्रति चिंतित हैं, आपको समर्थन देने को तैयार हैं। आप भारत सरकार से इस विषय में बात करके एक 25 वर्ष की पनधारा योजना बना कर उसको क्रियान्वित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की कृपा करें।

प्राकृतिक जैव संसाधन की बात मैंने कहां जिसको बायो-डयवर्सिटी कहा जाता है, इतनी विपुल संपदा भारत के पास है कि विश्व में किसी के पास नहीं है। यह चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। वनों की, वृक्षों की, फलों की, सब्जियों की, औषधियां पौधों की, सुगन्धिदायक पौधों की इतनी सारी रेंज, इतनी बड़ी वैरायटीज़, इतनी किस्में किसी भी देश के पास विश्व में नहीं हैं, पर उनका उपयोग करने के लिए आपकी इस सरकार की इस नीति में मामूली सी चर्चा है। उनकी पहचान के लिए, उनका अनुरक्षण करने के लिए, उनका संवर्दन करने के लिए, उनकी कृषि का प्रसार करने के लिए आपके इसमें कोई कार्यक्रम का उल्लेख आपकी नीति में नहीं है कृषि मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको अतरंग और अभिन्न हिस्सा आप बनाने की कृपा करें। बहुत सारे सुन्दर, पुष्ट, पालतू और जंगली जानवरों की हमारे पास इतनी पड़ी संख्या है और इतनी नस्लें हैं, इतनी दुधारू गाय हैं, इतने आपके बैल हैं, आपने पालिसी की बात की प्रजनन नीति की, पूर्व में, आरम्भ में जब प्रजनन नीति का संकल्प किया गया था तो उसका रूप यह होना था कि जो बाहर से विदेशी नस्लें आयेंगी उनका जो खराब पशु हैं, जो बहुत कम या बिल्कुल न दूध देने वाली गाय हैं, उनके साथ संकरण किया जाएगा, परन्तु इस उत्सुकता में और इस अति उत्साह में कि आप दुग्ध का उत्पादन कम समय में अधिक से अधिक बढ़ाये, आपने इस नीति को बदल कर यह कर दिया कि जितनी एग्ज़ॉटिक वैरायटीज़ आ रही है विदेशी नस्लें, उनका अपनी अच्छी नस्लों के साथ संकरण करके, साहीवाल, खरपारकर, अंगोल, हरियाणा इन सब नस्लों का ह्रास हो गया है। यह बहुत चिंतनीय बात है। हमने इसके प्रति कृषि नीति के ऊपर टिप्पणी करते हुए चर्चा भी की है। मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि भगवान करे कि यह सूचना गलत हो, मुझे किसी ने बताया कि आपके सूरतगढ़ फार्म के ऊपर खरपारकर का जो पूरा लैंडा था, हर्ड था, उसको बेच दिया गया है और उस नस्ल के इतने पशु एक जगह भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसी घटना हुई है तो इसमें आप जांच करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें और हमारी जो मूल राष्ट्र की निधि है, हमारी जो देशज नस्ले हैं, जिनमें इस प्रकार की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है, जो बाहर की नस्लें आयेंगी वह भारत में अच्छी तरह नहीं रह सकतीं। इसके रख-रखाव के लिए, उनके दवा के लिए, उनकी पुष्टि के लिए पौष्टिक पदार्थ देने के लिए इतना खर्च उठाना पड़ता है कि वह अलाभकर हो जाता है, तो अपनी देशज़ नस्लों के संवर्द्धन का, उनके चयन का और उनकी संख्या बढ़ाने का एक कार्यक्रम निश्चित रूप से आप करें। यह भी हम इस टिप्पणी में कह चुके हैं। आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे जंगली पशु हैं कृषि मंत्री महोदय, जैसे कस्तूरी मृग हमारे यहां

अलमोड़ा में एक फार्म छोटा सा बना रखा है जिसमें कस्तूरी मृगों को इतने कम स्थान में रख हुआ है कि न उनके लिए घूमने का साधन है, न चरागाह है। उसको आप अपने नियन्त्रण में लीजिए। वह अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है। यहां के केन्द्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लोग जाते हैं और 60 हजार रुपये की कस्तूरी उसकी नाभि में से तीसरे वर्ष निकाल लाते हैं और उसमें से बहुत से पशु मर रहे हैं। वह नस्लें ऐसी हैं जो भारत के अलावा किसी देश के पास नहीं है। आप उसके संवर्द्धन का, उसके अनुरक्षण का और इसके अनुरक्षण का और उसके उपयोग की एक अपनी उपयोग की एक अपनी भारतीय नीति बनाएं और उसके लिए कृषि मंत्रालय अपने पास अलमोड़ा जैसे 6 हजार से 10 हजार फीट के ऊंचाई के क्षेत्रों

में खोले। इसी प्रकार आइबैक्स गोट जो शहतूस देती है और दूसरी इस प्रकार की नस्लें, बहुत लंबा समय हो जाएगा, उन्हें पुनर्जीवित करके उनके संवर्द्धन का प्रयास सरकार करे।

खाद्यान्न की आत्म-निर्भता की बात कही है। यह बहुत लंबा है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। जितना हमने खाद्यान्न का आजात किया है 1980-81 से 1992-93 के बीच एक करोड़ 51 लाख 24 हजार 7 सौ टन, तो यह जो दावा किया जाता है कि हम आत्म/निर्भर हैं, यह निस्संदेह नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह नहीं लाना चाहिए था, आवश्यक था, क्योंकि भूख मिटाने के लिए लोगों को खाद्यान्न देने के लिए आवश्यक था, पर निर्भरता की बात कह कर हमको कंपलेसेंट नहीं जो जाना चाहिए, गलतफहमी में या खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। यह चुनौती अभी गई नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही बात उर्वरकों की है। उर्वरकों के अंधा-धुंध प्रयोग के कारण हमारी उपजाऊ मिट्टी का जो नुकसान हो रहा है। उसकी चर्चा भी हमने कृषि समिति के इस प्रतिवेदन में की है। जहां मोनोक्रापिंग हुई है, एक ही प्रकार की फसलें सघन खेती और अधिक सिंचाई के कारण, वहां बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रोन्स, जो सूक्ष्म तत्व हैं उर्वरक, उनका भयंकर गति से ह्रास हो रहा है। जहां जहां धान की खेती बार बार की जा रही है, वहां लोह तत्व जो 9 पर्टिकल पर मिलियन हमारे भारत की औसतन भूमि में होती थी वह घटकर साढ़े पांच के करीब चली गई और यह अगर साढ़े तीन हो गयी तो किसी प्रकार के कृत्रिम प्रयोग से आप उसकी उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि सरकार फसल चक्र को दुबारा इंटरोड्यूस करे, उसके लिए किसानों को दुबारा समझाए और आर्गेनिक फार्मिंग की कुछ ऐसी विधाएं, जो भारत में निजी तौर पर लोगों ने बहुत सफल प्रयोग किए हैं, उनके विस्तार, उनके प्रसार का काम सरकार हाथ में ले। इसी प्रकार जहां गेहूं की खेती होती है, वहां जिंक नामक सूक्ष्म तत्व का ह्रास हुआ है, जो 7 पी०पी०एम० से घटकर 4.5 तक पहुंच गया है। जब वह 1.5 चला जाएगा तो आप कितना जिंक डाल दीजिए गेंहूं पैदा नहीं होगा। यही ह्रास जहां आपने तिलहन पैदा की है वहां सल्फर का हो रहा है। पहले आपने कहा था कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश अब यह तीन तत्व और कम हुए हैं, और 23 इस प्रकार के तत्व हैं जिनका इसी तरह सेस्तर घटता जा रहा है। इसके बारे में आप अपने वैज्ञानिकों को एक नया सुझाव दीजिए और इस पर रिसर्च कराने की बात करें।

उपसभाध्यक्ष (कु० सरोज खापर्डे): सोमपाल जी, आपकी पार्टी को दिए हुए समय से भी ज्यादा समय आपने ले लिया है।

श्री सोमपाल: मैडम, मैं बस दो या तीन मिनट और लूंगा, ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट बहुत सारी बातों को मैं छोड़ देता हूं। ....**(व्यवधान)**....

मैडम, एक बात मैं उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय की विषमता की करना चाहता हूं। मुख्य रूप से एक ही कारक इसका उत्तरदायी है और वह है सिंचाई की उपलब्धता न होना। जो हमारा 67 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है वहां सबसे गरीब है। मैं आपको उड़ीसा का एक केस बताना चाहता हूं। एस०आर०सन कमेटी बनाई गई सन् 1984 में कृषि का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्वी राज्यों में वर्ष 1986 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। सारे सुझाव मान लिए गए, लेकिन जब हम 1991 में गए तो केवल 15,000 पम्प-सैट पूरे उड़ीसा में एनर्जाइज थे। इतने तो मेरे अकेले बागपत तहसील में हैं। उड़ीसा में तो इतना जल है कि अकेला उड़ीसा प्रदेश, अकेला बिहार प्रदेश पूरे भारत की खाद्य की आवश्यकता का संभरण कर सकता है। तो वहां की बिजली की, सिंचाई की व्यवस्था का, जलधारा के विकास का कुछ कार्यक्रम जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, टेकअप नहीं करेंगे तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। इसकी चर्चा हमने कृषि समिति की चौथी रिपोर्ट में भी की है।

मैडम, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर की बात, जिसके लिए चिंता व्यक्त की नारायणसामी जी ने, चले गए, और डा० रणबीर सिंह जी ने, आज भी औसत शहरी को

1600 कैलोरी खाद्य मिलता है, जबकि औसत ग्रामीण को 22 कैलोरी। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिनकी आर्टरी, जिनकी धमनियां अधिक पौष्टिक पदार्थ से चॉक हुई जा रही हैं, उनके दिल बंद हुए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भूल से जान दे देते हैं, एक समय नहीं, कई कई दिन तक उनके घर में तवा नहीं चढ़ता है। तो यह जो विषमता है इसका मुख्य कारण यही है। दूसरा, आपकी कृषि नीति को मैंने जानबूझकर यह कहा था कि इसका नाम होना चाहिए कृषि और ग्रामीण-विकाल सीय। ग्रामीण विकास के लिए जब तक वहां आप आधारभूत ढांचे में निवेश नहीं करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, यह पूरी नहीं होगी क्योंकि 18 मीटर के करीब औसतन कपड़ा आता है शहरी के हिस्से में और गांव वाले के 12 मीटर। गांवों में 50 फीसदी जनसंख्या आज भी ऐसी है, जिनके पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। आप चाहें आंकड़े कितने रखिए, यह तथ्य है। आप कहीं जाकर पूछ लीजिए। चार बड़े शहरों का सर्वेक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कराया, उसके आंकड़े दे रहा हूं, मेरे नहीं हैं, 257 लीटर प्रति व्यक्ति पानी व्यय होता है शहर में और गांव में औसतन 12 लीटर, जो कि आपके लिए खाद्यान्न पैदा करता है उसके लिए, सिंचाई और पीने का जल सभी मिलाकर कह रहा हूं। साठ प्रतिशत ग्रामीण ऐसे हैं, जिनके पास घर नहीं है, या तो कच्चे घरों में रहते है या बिना घर के, बिना छत के रहते हैं या घासफूस के घरों में रहते हैं, जिसमें सीलन में, वर्षा में, गरमी में, सर्दी में उनका जीवन दूभर रहता है। उन का जीवन दूभर रहता है और गंदा पानी पीने और सड़नभरे वातावरण में रहने के कारण 10 बच्चे प्रति मिनिट यानी 600 प्रति घंटा और 14000 प्रति दिन भारत में गंदा पानी पीने से पैदा होनेवाली बीमारी के कारण प्राण त्याग कर देते हैं। यह आप के ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। हमारे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का यह आलम है। गांवों में 69 प्रतिशत मृत्यु दर शहर के मुकाबले अधिक है और बाल मृत्यु दर 75 प्रतिशत अधिक है। गांवों में सारी औसत 69 प्रतिशत अधिक है और बच्चों में 75 प्रतिशत अधिक है। जितने बड़े अस्पताल, अनुसंधान संस्थान, खेलकूद और मनोरंजन के साधन हैं, वे सब शहरों में हैं। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का भी यही हाल है। महोदया, हमारे यहां 80 प्रतिशत गांव है जिन में केवल 30 प्रतिशत शिक्षा की सीट्स है और 70 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के लिए है। स्कूली शिक्षा का भी यही आलम है, 70 प्रतिशत सीटें शहरों में हैं और बाकी 30 प्रतिशत गांवों में है जहां कि 74 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश की रहती हैं। महोदया, हिंदुस्तान के 21 प्रतिशत गांव आज भी ऐसे है जिन में 5 किलोमीटर तक न कोई मिडिल स्कूल है और न ही उच्च शिक्षा का प्रबंध है और आप कहते हैं कि लोग क्यों शहरों में भागते हैं? आप यदि सारी सुविधाएं वहां दे दीजिए तो यहां कोई भागकर नहीं आएगा। महोदया, शहरों और गांवों में प्रति व्यक्ति कितना शिक्षा के ऊपर व्यय होता है इस बारे में आंकड़े सरकार ने बनाए नहीं हैं या जानबूझकर गलत दिए होंगे, नहीं तो उस में भी बहुत अंतर निकलेगा। महोदया, 93 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिन में कि कोई तकनीकी काम सिखाने का प्रबंध आज तक नहीं है। जितने भी पुश्तैनी या परंपरागत पेशे थे, उन से तो आप ने सब को पहले ही वंचित कर दिया और नए पेशों मे उन्हें दीक्षित करने का भी कोई प्रबंध नहीं किया है। फिर बेरोजगारी, हिंसा डकैती, लूटपाट, पुलिस कितने लोगों के ऊपर कितनी है, सड़कें कितने लोगों के हिस्से में आती हैं, स्कूल कितने हैं — ये आंकड़े भी बहुत चौकाने वाले है। इन की लिस्ट बहुत लंबी है और मैं उसे देना भी नहीं चाहता। महोदया, हमारे देश में 60 प्रतिशत ग्रामीण जनता आज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित है जबकि आप ने 1700 ब्लाक की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनायी है, उस के बावजूद यह पिछले साल तक का आंकड़ा है और यहां शहर में एक-एक आदमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कवर्ड है। इस बारे में आप की नीति में कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि "ग्रामीण विकास नीति" शब्द भी इस के साथ जोड़ दिया जाए।

महोदया, गांवों में क्रय शक्ति पट रही है और एक और साढ़े छः का अंतर हो गया है। अगर आप 1970-71 की बेसलाइन लें तो अब तक गांव के आदमी की 55 प्रतिशत क्रय शक्ति कम हुई है। उस की 1951 में जो क्रय शक्ति थी, उस का एक बटा साढ़े चार रह गयी है, इसलिए क्रय शक्ति का 'यह अंतर एक से साढ़े छैः नहीं बल्कि एक से आठ होना चाहिए, यदि आप कंजूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जाना चाहते हैं। महोदया, 30 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिन में कि 5 किलोमीटर तक पक्की सड़कें नहीं हैं और एक तिहाई गांव ऐसे हैं जिन में कि बिजली नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो 40 प्रतिशत जनसंख्या है, उस में से 73 प्रतिशत आज भी गांवों में रहती है। इस के निदान के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम की चर्चा इस में नहीं है। कितनी जनसंख्या को आप गरीबी रेखा से कितने वर्षों में ऊपर उठा पाएंगे, उस के लिए कितना आवंटन करेंगे, इस नीति में कोई चर्चा नहीं है।

महोदया, अब मैं योजना व्यय की प्राथमिकता की बात करता हूं। प्रथम योजना में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास-इन सब को मिलाकर 37 प्रतिशत संसाधन दिए गए थे और 7वीं योजना में केवल 17 प्रतिशत दिए गए हैं। पूंजी विनिर्माण के आंकड़े आप देखें। वह 60-61 के मुकाबले 14.2 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत तो निजी क्षेत्र में हो गया है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में पूंजी विनिर्माण गांवों में 12.3 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गया है। आप के द्वारा कृषि को प्राथमिकता देने का यह एक प्रमाण है। यह इसलिए है क्योंकि वहां के लिए आप पर्याप्त पूंजी नहीं दे रहे हैं। महोदया, रिजर्व बैंक ने पंजाब का एक सर्वे कराया था और उनका कहना है कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक किसान के पास एक हैक्टेयर के लिए 8 हजार रुपए के औजार होने चाहिए जबकि आज पंजाब का सर्वाधिक उन्नत प्रदेश है, वहां के किसान के पास भी औसतन 1800 रुपए के ही औजार है। बाकी हिंदुस्तान में क्या हाल होगा, इस का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

4.00 P.M.

कृषि संसाधन की बात लीजिए। विश्व के जितने भी अच्छे देश हैं, उन में लगभग दो से तीन प्रतिशत कृषि सकल उत्पाद का कृषि अनुसंधान में लगाया जाता है। और हमारे देश में आपके मंत्रालय को केवल 32 परसैंट मिल रहा है कृषि अनुसंधान पर खर्च करने के लिए। हम यह संस्तुति कर चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि उसको कम से कम एक प्रतिशत किया जाए यानी तीन प्रतिशत बढ़ाया जाए क्योंकि सबसे अगर सराहनीय और स्तुत्य काम अगर आपके किसी विभाग ने किया है तो वह कृषि वैज्ञानिकों ने किया है भारत के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। उस विधा के सामने कुछ नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं इसलिए उन्हें अधिक संसाधन आप उपलब्ध कराएं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): सोमपाल जी, जरा एक मिनट सुनेंगे आप।

श्री सोमपाल: बस मैडम, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आपको दिए हुए निर्धारित समय से आपने काफी ज्यादा समय ले लिया है।

श्री सोमपाल: मैं केवल तीन-चार मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): अगर इस तरीके से हम लोग बोलेंगे तो बाकी के जो स्पीकर्स हैं मेरे सामने, उनका क्या होगा।

श्री सोमपाल: मैं सिर्फ दो बात कहकर समाप्त कर देता हूं।

81 प्रतिशत गांवों में मरम्मत की सुविधा नहीं, 62 प्रतिशत के पास मंडी की सुविधा नहीं, 79 प्रतिशत के पास पांच किलोमीटर तक गोदाम नहीं और 5 प्रतिशत के पास आज तक भी बीज भंडार नहीं, यह स्थिति है।

बिजली की बात लीजिए, आज भी 26 प्रतिशत बिजली भारत की 74.3 फीसदी ग्रामीणों को मिलती है और 74 फीसदी, बाकी शहरों को 26 प्रतिशत, बिल्कुल उल्टा अनुपात है। इसमें भी आपने कोई प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया कि इतनी बिजली देंगे। कम से 50 फीसदी तो दीजिए, 74 फीसदी आप नहीं देना चाहते।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना ऋण सरकारी संस्थाओं से मिला है, उसका केवल 17 प्रतिशत गांव में गया, 83 प्रतिशत उद्योग और व्यापार को चला गया। मकान बनाने के लिए जितना आपने दिया, उसका केवल 11 प्रतिशत गांव में गया, 83 प्रतिशत उद्योग और व्यापार को चला गया। मकान बनाने के लिए जितना आपने दिया, उसका केवल 11 प्रतिशत गांव में गया बाकी 89 प्रतिशत शहरियों को आपने दे दिया। ये सब चिंताजनक बातें हैं, इनका आप अपनी नीति में अवश्य समावेश करने की कृपा करें।

ऋण व्यवस्था की बात इसी प्रकार है, उनके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया है। ट्रैक्टर लेने के लिए आज भी भूमि जाकर उन्हें रजिस्ट्रार के यहां बंधक रखनी पड़ती है। आपके पंजाब में नहीं है, बाकी प्रदेशों में अभी ऐसा चलता है। इस बात को समाप्त कराइए।

एक और चिंताजनक बात है। यह जो नया हाई-टैक एग्रीकल्चर आ रहा है, रिजर्व बैंक ने यह निर्देश जारी किए हैं हरेक बैंकिंग इंस्टिट्यूशन को कि न्यूनतम 18 प्रतिशत ऋण कृषि को जाना चाहिए और 38 प्रतिशत या 40 प्रतिशत ग्रामीण और दूसरे जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं उनको जाना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं रिकार्ड के साथ कि एक भी बैंक ऐसा नहीं है जिसने 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया हो, सबका 12 प्रतिशत या 13 प्रतिशत है। मैं निवेदन करूंगा कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार उनको कड़ा आदेश करे और जो इसका पालन नहीं करें, उनके खिलाफ आप अनुशासन-हीनता की कार्रवाई करें।

कृषि मूल्य नीति की बात आप जानते हैं, मैं उसको छोड़ देता हूं। कुछ उसकी चर्चा पहले कर चुका है।

सहकारी नीति की बात आपने कही। मार्डन कोआपरेटिव लॉ आपके विचाराधीन पड़ा है कई वर्षों से और अनेक प्रतिवेदनों में कृषि समिति कह चुकी है। उत्तर प्रदेश में यह हाल है कि हमारे यहां जितनी सहकारी मिले हैं, डा० रणबीर सिंह जी ने उसकी चर्चा की थी, सबके ऊपर सरकारी पी०सी०एस० अधिकारी बैठे हुए हैं और उसमें किसी भी प्रबंध समिति को 18 वर्षों से बहाल नहीं किया गया है और किसानों का वह पैसा नहीं देते। ब्याज न देने के लिए एक प्रावधान केन्द्र सरकार ने किया था कि अगर ब्याज की अदायगी न की गई बकाया के ऊपर तो उसको आप दंडित करेंगे, आज तक किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया। एक गांव में 20 कम्पनियां तो पंजीकृत करा सकते हैं आप पर सहकारी समिति एक ही हो सकती है। यह प्राथमिकता है और यह आप फेवर कर रहे हैं, यह आप उसको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Som Pal, I have given you enough time, Please conclude now. It is not fair.

श्री सोमपाल: मैं समाप्त कर रहा हूं। एक पैराग्राफ कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): दूसरे सदस्यों के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए आपको।

श्री सोमपाल: कृषि नीति बनाना, मैडम, एक बात है, चाहे वह हमारी पंचवर्षीय नीति रही हो चाहे और नीति, उनके क्रियान्वयन में अनेक खामियां रही हैं। हमारे "छांदय उपनिषद" में एक कथा आती है, मैं वह सुनाकर समाप्त कर दूंगा, एक मिनट लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): कथा के लिए और 10 मिनट लेंगे आप।

श्री सोमपाल: एक मुनि दाल्व, चूंकि हमारे कृषि मंत्री जी स्वयं उपनिषद पढ़े हुए हैं, ये समझ जाएंगे। एक युवक मुनि दाल्व नगर के बाहर सुबह जा रहे थे। उन्होंने देखा अकस्मात बाहर नगरी के कि एक बहुत हृष्ट-पुष्ट और देखने में अच्छा, शारीरिक सौष्ठव वाला श्वेत श्वान, सफेद कुत्ता उन्हें दिखाई दिया, अनायास उनका ध्यान आकर्षित हो गया। उनके देखते-देखते बहुत सारे कुत्ते उनके पास आए, दर्जनों, और वे कुत्ते कोई पूर्व जन्म में मुनि थे। उन्होंने उनसे कहा कि मुनि जी महाराज, आप सुना है बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम तो दस-पन्द्रह दिन से भूखे हैं और उनके पेट कमर से लगे हुए थे, आप कृपा करके हमारे भोजन का कुछ प्रबंध कर दीजिए, हमें कई दिनों से भोजन उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तो मेरे यज्ञ का समय समाप्त हो गया है, आप कृपया कल प्रातःकाल पधारिए, मैं प्रयास करूंगा। वे अगले दिन आए और उसी नियत समय पर मुनि दाल्व भी उस श्वान सम्मलेन को देखने के लिए उपस्थित हो गए। तो सफेद कुत्ते ने बाकी कुत्तों से कहा कि आप सब पूंछ मुंह में पकड़ लीजिए एक दूसरे की ओर मेरे चारों तरफ चक्कर लगाइए और मंत्र बोलिए—ओउम भगवान हमें भोजन दो, ओउम भगवान हम भूखे हैं। वे कुत्ते उस मंत्र का जाप करने लगे। घंटे-डेढ़ घंटे में पसीने-पसीने हो गए, भोजन कहीं आया नहीं। वह सब उससे कहने लगे कि महाराज, जितना दम बचा था वह आपने निकाल लिया, भोजन तो कहीं उपस्थित हुआ नहीं। तो यह नीति है आपकी। माननीय मंत्री महोदय, आप भी उसी मुनि श्वेत श्वान की तरह हृष्ट-पुष्ट खूबसूरत मंत्री हैं, जितने आपके मंत्रिमंडल के यह लोग हैं, इस मंत्र जाप से भोजन पैदा होने वाला नहीं है। इसके क्रियान्वयन का भी कोई कार्यक्रम बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बहुत-बहुत धन्यवाद सोमपाल जी, आप सचमुच बहुत अच्छा बोले कृषि नीति पर।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, आजादी के 47 साल के बाद अगर कृषि पर कोई नीति बनी है तो यह नरसिंह राव जी की सरकार है जिसने कृषि नीति को इस देश के अंदर बनाया है। कृषि के उत्पादन को, कृषि की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कई प्रकार के उपाय जरूर इस देश के अंदर लागू किए गए थे। लेकिन वास्तविक कृषि नीति जो देश के कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ साहब ने प्रस्तुत की है, यह पहली बार देखने को मिली है।

हिन्दुस्तान गांवों का देश है और भारत की मूल अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। जब तक हम मध्यम और छोटे किसानों का जो इस देश के विकास में रीढ़ की हड्डी है उनका समुचित विकास करके और जब तक उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। यदि भारत को विकासशील देशों के साथ उन्नत देश बनना है तो भारत के अंदर रहने वाली 70 प्रतिशत जनसंख्या जो गांवों के अंदर रहती है और खेती के धंधे से जुड़ी हुई है जब

तक उनका समुचित विकास नहीं कर पाएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। जयपुर में पिछले साल 81वीं कृषि अनुसंधान विकास के ऊपर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक में एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कृषि अनुसंधान और विकास में अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में कम पैसा खर्च किया गया है। जहां सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो और कृषि के विकास पर पैसा खर्च न हो अन्य विकासशील देशों के बराबर, तो यह सोचने लायक बात है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पिछले समय में कृषि पर इतना कम पैसा नए वैज्ञानिक तरीके, अनुसंधान द्वारा नए बीज प्राप्त करने करने के तरीकों से लोगों को क्यों नहीं शिक्षित किया गया, तथा क्यों कम पैसा खर्च किया गया? जबकि जो उद्योग शहरों में चलते हैं उन पर अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन कृषि पर क्यों कम पैसा खर्च किया गया, उसके क्या कारण रहे, मंत्री जी यह बताएं?

मैडम, मैं यह बता रहा था कि हमारा कृषि पर खर्च का जो आकलन है 1958-59 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के 0.23 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 1.13 प्रतिशत हो गया था।

किंतु हाल के वर्षों में यह घट कर 0.9 प्रतिशत रह गया। यह स्थिति हमारी है हम कृषि की ओर ध्यान भी देना चाहते हैं, कृषि का विकास भी करना चाहते हैं, इस देश की ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है, उसके बाद भी जो कृषि के नए विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके के लिए पैसा खर्च किया गया, वह घटता चला गया और निजी उद्योग संस्थाओं को इस अनुसंधान और विकास पर जितना पैसा खर्च करना चाहिए, वह कम हो रहा है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन पिछले दिनों में किसानों के विकास की गति को, किसान अपने आप में विकसित करता रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो परम्परागत कृषि होती थी, वह कृषि की एक अच्छी व्यवस्था थी। पारम्परिक साधनों में अच्छी व्यवस्था होने के कारण जो वैज्ञानिक नीति है, वह अधिक खर्चीली है। उससे किसान को मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने इस नीति के माध्यम से किसान की खेती की रक्षा के लिए, चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे वह सूखा हो, चाहे वह वर्षा से बाढ़ आने के कारण हो, किसी भी कारण से किसान की खेती को यदि कोई नुकसान पहुंचता है तो बीमा योजना लागू करके किसान को राहत देने की बात जो इस नीति में कही गयी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इस नीति के अंदर समर्थन मूल्य किसानों को दिया गया है, की बात बड़े जोर-शोर से कही। लेकिन समर्थन मूल्य की बात हम करें, तब तक तो ठीक है किन्तु इससे किसान का भला होने वाला नहीं है। खड़ी फसल के समय आप समर्थन मूल्य की घोषणा कर देते हैं। कीटनाशक दवाएं, उर्वरक आदि जो चीजें हैं, उनके भाव व्यापारी पहले ही बढ़ा देते हैं और जितना आपने समर्थन मूल्य किया है, उससे ज्यादा जेब वह पहले ही किसान की काट लेते हैं तो समर्थन मूल्य का किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसान को समर्थन मूल्य देने के बाद भी आज ऐग्रीकल्चर के जो साधान हैं, यंत्र हैं, आज से करीब 5 साल पहले टैंकर डेढ़ लाख रुपये का मिलता था किन्तु आज वह ढाई-तीन लाख का हो गया है। पम्पिंग सैट का इंजन जो 15 हजार का मिलता था, आज वह 30 हजार का हो गया है, तो इनके दाम से दुगुनी बढ़ोत्तरी हो गयी है किन्तु समर्थन मूल्य दुगुना नहीं हुआ है। इसलिए समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय केवल कृषि उत्पादन में होने वाले खर्च को नहीं देखना पड़ेगा।

समर्थन मूल्य के लिए हमें खुले बाजार के मूल्यों की प्रवृत्ति की मांग, उपलब्धता की स्थिति, फसलों के बीच मूल्यों में संबंध, औद्योगिक उत्पादन, संभावित प्रभाव, जीवन निर्भय जैसे प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कृषकों को प्राप्त हो इसके द्वारा, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद समर्थन मूल्य आप किसान को देंगे तो किसान को इसका लाभ हो सकता है। आज किसान को अपनी पैदावार की वास्तविक लागत, मेहनत का मूल्य भी नहीं मिलता। चावल को हमने निर्यात के लिए छूट दी तो आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल 850 रुपये है और धान का मूल्य 550 रुपये है हमारे यहां। हमारी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है 230 रुपये। समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय आपको इसका तुलनात्मक आधार देना पड़ेगा। किसान को उसकी वास्तविक मेहनत मिल रही है या नहीं, उसको उसका फल मिल रहा है या नहीं या बीच के जो दलाल हैं जो आज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लगे हुए हैं वे इसका लाभ ले रहे हैं? तो समर्थित मूल्य घोषित करने से पहले इस बात को देखें। साथ ही हमारा देश विशाल देश होने के कारण जो सुविधाएं किसान को अमेरिका और जापान में दी जाती हैं, वे सुविधाएं हम प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपने जो इस नीति के अंदर वेयरहाउसिंग की व्यवस्था की है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था करें। जिस तरीके से अमेरिका और जापान के अन्दर

किसान को अपने खेत से, खलिहान से अनाज को वेयरहाउसिंग तक पहुंचाने के बाद उसको ऋण मिल जाता है, उतना जितना उसका अनाज उसमें रखा हुआ है, ऋण मिलने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती, उसी प्रकार से सुविधा हमारे यहां किसान को भी मिले। वेयरहाउसिंग के अन्दर अपना अनाज पहुंचाने के बाद उसको ऋण की सुविधा मिल सके यह व्यवस्था आप करें।

जब तक हम गांव का समुचित विकास नहीं करते तब तक हमारी कृषि नीति कभी सफल नहीं हो पायेगी और न देश का विकास हो पाएगा और न ही देश का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हो पायेगा। यदि इस देश का विकास चाहते हैं, इस देश का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ करना है तो सबसे छोटी इकाई जो गांव है उस गांव का विकास करना पहले जरूरी है। उसके बाद ही हम देश का विकास कर पाएंगे। देश का विकास तभी हो पायेगा जब गांव का विकास होगा। जो व्यवस्थाएं, जो साधन, सुविधाएं शहरों के अन्दर हैं वही साधन और सुविधाएं गांव के अन्दर उपलब्ध कराएं तब जाकर गांव का विकास हो पायेगा।

आज गांव के अन्दर कृषि पर आधारित किसान के पशु की चिकित्सा के लिए एक-एक तहसील के अन्दर एक-एक चिकित्सालय ही मिलेगा जबकि शहरों के अन्दर उतने से कम जनसंख्या के आधार पर दो-दो, तीन-तीन पशु चिकित्सालय मिल जायेंगे। इसलिए आपको गांव के अन्दर समुचित चिकित्सा की सुविधा करनी पड़ेगी। बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सड़कों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं वही सुविधाएं गांव में उपलब्ध हो जायेगी किसानों को तो वह कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकेगा। कृषि उत्पादन के लिए, कृषि के उत्पान को बढ़ाने के लिए आज हमारे पड़ोसी देश चीन के अन्दर सभी साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस का परिणाम यह है कि आज चीन कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बन गया है। उनके गांव आज विकास की दृष्टि से हम से आगे हैं। यही कारण है कि आज चीन दुनिया की दूसरी शक्ति बनने की सोच रहा है। इसी प्रकार से हम गांवों का विकास करके, गांवों की उन्नति करके, वहां पर कृषि को बढ़ावा देकर, सुविधा देकर कर सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि गांवों के विकास के साथ ही भारत का समुचित विकास होगा।

महोदया, कृषि का मूल आधार सिंचाई है और सिंचाई की व्यवस्था जब तक समुचित रूप से नहीं हो जाएगी तब तक हम कृषि के विकास में इतने सफल नहीं हो पायेंगे। हमारे देश के अन्दर जो पुराने जमाने से चली आ रही सिंचाई की व्यवस्था है उसमें मामूली परिवर्तन हुआ है, उसमें मामूली विकास हुआ है। नई सिंचाई व्यवस्था की ओर सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खेती उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को समुचित सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

महोदया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी नदी या नाले नहीं जिन पर सिंचाई के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए जाएं। वहां पर कोई बड़े-बड़े तालाब या नहरें नहीं हैं जिनसे सिंचाई की व्यवस्था की जाए। वहां पर केवल एक ही साधन है। आप अपनी कृषि नीति के अन्दर इस आधार को रखें और वहां के गांवों में पाताल तोड़ कूएं खुदवाएं। हर गांव के अन्दर सरकार की ओर से एक या दो पाताल तोड़ कूएं खुदवाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही गांवों में जो छोटे-छोटे तालाब हैं उनकी मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये छोटे-छोटे तालाब मजबूत हों और उनका सिंचाई का साधन सुदृढ़ बना रहे। आज वर्षा कम होने के कारण राजस्थान के किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। उनके लिए पीने का पानी भी नहीं है। सिंचाई की बात आप छोड़ें, पीने के पानी के लिए आज किसान दर-दर भटक रहे हैं। पानी के लिए उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। मंत्री जी ने एक नया सिस्टम, ड्रिप सिस्टम की जो बात कही है उससे खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से इससे किसानों को फायदा मिलेगा।

साथ ही मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो खेतों के असली मालिक थे, जो जमीन के असली मालिक थे आज उनको दूर किया जा रहा है। जमीन के असली मालिक थे इस देश के आदिवासी। लेकिन उनसे जमीन छीनकर वह जमीन वन विभाग को दी जा रही है। वन विभाग उस जमीन पर अपना अधिकार कर रहा है। आदिवासी भूमिहीन बन रहे हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जितनी भी भूमि आदिवासियों की है चाहे वह वन विभाग के अन्दर है या किसी पूंजीपति ने हड़प ली है उस भूमि को आदिवासियों को दिलाया जाए और उनको वैज्ञानिक तरीकों से, नये तरीकों से कृषि संसाधन दिये जाएं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए जिससे खेती के उत्पादन में वृद्धि कर सकें। कृषि के साथ-साथ कृषि मंत्री जी ने इस नीति के अनुसार बागवानी, पशु-धन, मत्स्य और रेशम कीट पालन के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। पशु पालन और दूध उत्पादन पर

आज 10 प्रतिशत किसान आधारित हैं। दूध उत्पादन के लिए उन्हें नये किस्म की गाय, नये किस्म के प्रजनन से तैयार की गई नई नस्लों की गाय उपलब्ध हों (समय की घंटी) पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा हो।

[उपसभाध्यक्ष—श्री वी० नारायणसामी पीठासीन हुए]

दूध उत्पादन में जितनी वृद्धि आज किसान ने की है, सुविधा न मिलने के बावजूद भी दूध के उत्पादन में जो बढ़ोतरी की है, उससे हम यह कह सकते हैं कि किसान अपनी मेहनत और कार्य करने की क्षमता से कार्य कर रहा है और इस कार्य में यदि सरकार का उसको सहयोग मिले तो शीघ्र हमारा किसान विकसित होगा और उसका विकास हो पाएगा। (समय की घंटी)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly conclude. There are 4 more speakers from the Congress Party.

श्री मूल चन्द मीणा: खत्म कर रहा हूं। कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नयी कृषि नीति के अन्दर कृषि उत्पादन की जो ढुलाई है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कृषि उपज ले जाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। कृषि उत्पादन को सब प्रकार के शुल्क या टेक्स की मुक्ति मिलती रहनी चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have taken more than half-an-hour. Kindly conclude.

श्री मूलचन्द मीणा: बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं। कृषक समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित था। हमें उसके कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा तब जा कर हम कृषि के उत्पादन में विकास कर पाएंगे, हमें सफलता मिल सकेगी। उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित करने होंगे जिनमें यह अधिकार हम सुनिश्चित करें कि न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विधान बनाएं। और उचित ढंग से इसका क्रियान्वयन किया जाए। दूसरा कृषकों की सामाजिक सुरक्षा और निर्वहन केन्द्र सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। तीसरा, उनके लिए एक व्यापक ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की जाए। चौथा अधिकार उनको यह भी दिया जाए कि अधिकतम भूमि सीमा से अधिक भूमि अथवा किसी तरह की वितरण योग्य भूमि के वितरण को एक समयबद्ध कार्य के रूप में किया जाए। पांचवां, खेतिहर मजदूर को भूमि और मकान से हटाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये अधिकार किसान को, सीमित लघु कृषक को देने पड़ेंगे तब जाकर वह सुरक्षित रह पाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chiarman, Sir, I carefully listened to the speech of the hon. Agriculture Minister. He had expressed some pious wishes about progress and prosperity. I am sorry that he has not explained as to how this policy is going to achieve the pious wishes that he has expressed. I have gone through the Policy Resolution many times. I find that the main thrust of this Policy Resolution and the major policy formulations are anti-peasantary, anti-agriculture and anti-national. The Resolution ignores the interests of the majority of the peasantary in the country. It only takes care of the advice of the richest of the rich. Hence I stand to oppose this Policy Resolution with all the strength at my command. I also disagree with the form of this Resolution. The form is vague and the words used are vague. This is intended to hoodwink and confuse the people. I may call this document a master piece of deceit.

This document adopts two methods for achieving this. One is that this document underplays the challenges that we face in agriculture. The second is, as I explained to you, this Resolution uses the most vague formulations in general, when it refers to the future programmes, in particular. All these vague formulations can be interpreted and misinterpreted In many ways. Let us examine the major challenges that we face in the country. According to me, the most important challenge that we face in this country is how to ensure food security in the country. I do not deny the fact that we have been able to achieve some progress in this particular field. But, the rate of growth, the present growth, is not at all sufficient to ensure food security in the future. The hon. Minister has said here

that we produce 190 million tonnes of foodgrains—of course, the Economic Survey says that it is 185 million tonnes and also the Annual Report of the agriculture Ministry says that it is 185 million tonnes. Let it be 19 crore metric tonnes. But, what is the estimated requirement by the end of this century? The estimated requirement by the end of this century is 240 million tonnes. So, that means during the coming four years we have to produce 50 million tonnes more of foodgrains in the country. What is the present average rate of growth? It is between two million tonnes and three million tonnes. That means we can only produce in the coming four years, if the monsoon is available, maximum of 12 million tonnes. That means there will be a shortage of 38 million tonnes of foodgrains. I am aware that the Agriculture Ministry is making a propaganda that we do not require this much of foodgrains. I disagree with the calculations of the Agriculture Ministry. The calculations of the Agriculture Ministry are based not on realities because the Ministry is calculating on false calorie basis. The Ministry is asking, "Instead of cereals and pulses, why don't you use meat, why don't you use chicken, why don't you use eggs, why don't you use milk?" That way the Ministry has excluded many number of calories. In that way they try to calculate and they say we require only this much. So, the calculations of the Agriculture Ministry are based not on real situations. Actually, this is not an innocent move. This is a move to give up priority on foodgrains production and to give priority for export oriented agriculture.

I am not opposed to export of agricultural products. What we produce in surplus and what we have in surplus we have to export. But we are opposed to the export-oriented agriculture. What does it mean? It means giving up priority on foodgrains production. That would be a very, very dangerous step. I fear if we give up our priority on foodgrains production, of course, our sovereignty will be in peril. Many of the spokesmen in the Agriculture Ministry and also the present Foreign Minister, for the last three years have been again and again repeating that thing. What is the sanctity of the foodgrains and self-sufficiency? Let us produce exportable items and go to the international market, get money and we can purchase cheap foodgrains from the international market. Of course, this is the prescription. When Shri Pranab Mukherjee was the Vice-chairman of the planning Commission, he openly said that thing, he campaigned for that thing. If he is willing to withdraw his statement let him withdraw. This is the presecription of the IMF the World Bank, multi-nationals and all the developed capitalist countries. These developed capitalist countries are facing certain problems. They need cheap raw material, they need cheap horticultural products, they are also facing a glut of foodgrains and dairy products in their domestic market. They want to sell their items and they also require cheap items. That is why they are telling all the third world countries, "You on produce all these exportable items and come to the international market." Now, in the international market, we can see the prices of primary commodities are coming down. We all know that fold grains can be used as a potential political weapon. They can do arm twisting and I do remember, that was in 1976 when the First World Food Conference was held. The Then U.S. Secretary of Agriculture, Mr. Earl Butz said that food was a weapon. It is one of the principal tools in our negotiating kit. So, we are willingly moving to put our heads into the trap of the developed capitalist countries. If you look at this Draft Agriculture Policy Resolution, you have put everything together, but you have not given priority to self-sufficiency in foodgrains. This is one of the most important aspects which we should not forget. And what all the items that you exported last year? You claim that our agricultural exports increased. You exported pulses. The quantity of pulses

exported during 1994-95 was 59,497 tonnes. What does the Economic Survey say about the production of pulses? It says at page 122 that production of pulses in India has been stagnating around....

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): We have imported.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: We are exporting, Sir.

SHRI JAGESH DESAI: How much was imported?

SHRI RAMACHANDRAN PALLAI: You please hear me. you are exporting pulses. This is the answer given by Mr. P. Chidambaram to my question dated 31st July, 1995 During 1994-95, 59, 497 tonnes of pulses, valued at Rs. 90.36 crores, were exported.

SHRI JAGESH DESAI: What is imported?

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: You say about what is imported. This issue is this. If you look at the *per capita* consumption of pulses during the last 30 years. you will see that the consumption has now declined by one half of what it was 30 years back. This is the item that you exported. Not only this, but you exported onions also. You exported oilseeds. And what happened in the market? The price of pulses shot put to Rs. 30 per kilo. Who benefited? Has the Government benefited out of it? has the Common man benefited out of it? Only those who have access to the coridors of power, the richest of rich and some traders have benefited out of it, but not the poor peasants This is one aspect that I wanted to stress.

Sir, the second aspect is that poverty, unemployment, social inequalities in the country, social oppression, atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Backward Classes, atrocities against women, all these issues are the serious challenges that we face in the country side. But you are not addressing yourself to these problems, and you are also not mentioning about the importance of land reforms. I would come later on to what you have referred to in this document. The genuine land reform measures can do many wonders in our country. They could have increased productivity and production, they could have given employment opportunities to the millions of unemployed, they could have helped equitable distribution of wealth. they could have helped in increasing the purchasing power of the poor people in the country, and they could have been a vehicle for rapid industrialisation in our country. That is not done. It is only in the States where the left democratic forces are in power that genuine land reform measures have been implemented. and not only the economic aspects....

SHRI VAYALAR RAVI: (Kerala) Who is preventing the State Governments from doing it?

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: You are not saying this here.

SHRI VAYALAR RAVI: Who is preventing them?

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: This is your Agriculture Policy. You are not stressing the importance of land reforms here. You have not mentioned the importance of land reforms. It has a social impact. It has a political impact. I do not want to go into all those details. The point is, instead of implementing land reform measures, you are asking for the status of industry to agriculture. Actually, what does it mean? The hon. Minister referred to the report of the Bhanu Paratp Singh Committee. He had gone into the details of this report. I do not want to go into those details again. But what have you asked for? You are asking for lifting of the ceiling provisions. You are asking for credit for hoarding and giving more money to foodgrains. You are also asking for doing away with all the regulations as well as removal of

taxes. These things are not going to benefit the overwhelming majority of the peasantry in the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASMY): Mr. Pillai, do you want the farmers to be taxed?

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: No, Sir. At the same time, those farmers who are rich should be taxed. They are the people who should be taxed. The rich farmers should be taxed. I do not say that every farmer should be taxed. (*Interruptions*)

Sir, what I am trying to emphasise here is that you are not speaking about any land reform measures which would benefit the poor and the middle sections in the country. You are asking for the status of industry to agriculture. For whose benefit? The richest of the rich. You are not speakaing about the overwhelming majority of the peasantry in the country. You are only speaking about the interests of a small, microscopic, minority-the kulak section in the country. Therefore, Sir, after four decades of Independence....

SHRI BALRAM JAKHAR: May I interrupt you for a minute? Many I know from you whether you have seen the amendments to the land ceiling laws? have you, by any chance, come across the land ceiling laws of the contry? If you have come across the land ceiling laws, how can you call the farmers, *'kulaks'* ? It is not proper on your part to speak in such a derogatory manner. Please do not do it. We have already put them under ceiling. This is the only section of the society which has been put under ceiling. At least, give some credit to them.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I am only speaking about the reality. All the Five-year Plan documents have agian and again mentioned the importance of land reform measures. They have again and again mentioned about the reluctance on the part of the *Kulak* section, which controls the corridors of power, in implementing land reform measures. I am only quoting what they have said. You may kindly read the Eighth Five-Year Plan document. (*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI: You should also see what this particular document is saying.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Vayalar Ravi, please do not interrupt the Member. The hon. Minister has replied. You need not interrupt the Member. (*Interruptions*)

SHRI M.A. BABY: The Chair is intervening. The Minister is intervening.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: I have a view which is different from theirs. I am expressing certain views which are different from many of the views expressed here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Baby, don't say the Chair is intervening.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Encouraging.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: No, the Chair is always impartial.

SHRI BHUPINER SINGH MANN: DOn't you want the status of industry to be given to agriculture?

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: You spell out your views when your turn comes.

Sir, what is the position today, after four decades of our Independance? Many of my colleagues have pointed out about it. We have floods and drought affectng many parts of the country. The Government has not taken sufficient steps to expand the irrigation and power facilities in the country. This creates problems. This is creating more problems for the poor peasants in the country. One of our learned economists. Shri Hanumantha Rao, has said that drought has now become a tool in the hands of certian sections to exploit the poorer sections in

the country. The Government is not expanding the irrigation facilities. The Government is not having a proper water management policy. Not only that. There are also iter problems coming up. There is overutilisation of the ground water which results. In the ground water level going down. There is overuse of the chemical fertilisers and pesticides. There is the problems of sea water seeping into the ground water. All these things are creating serious ecological problems Actually, this document is not addressing itself to these problems with the gravity they deserve.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please try to be brief.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Yes, Sir, I am. And this particular document is completely silent about the problems of the agricultural workers. it considers that agricultural workers are not a section of the peasantry. It does not consider their plight. They are one of the most important components of the peasantry in the counrty. They have no statutory fixed, minimum wages they have no earned leave, they have no sick leave, they have no pension and they have no gratuity in most parts of the country. And their unemployment is grwoing and their miseries are growing.

I may not be fully correct if I say that nothing is mentioned about the agricultural workers in this document: something is mentioned. I want to read those particular words. In para 10 it says, "India has a natural comparative advantage in agricultural exports because of our lower import need of inputs. our reasonable labour costs." So you are considering the low wages of the agricultural workers, that particular evil, as a virtue. This is atrocious, Sir.

Then I do not want to go into other details about regional disparities and sectoral imbalances in the country.

Now, what are the remedies suggested for solving the problems? Actually, the panacea suggested in this document is higher prices and export. Of course, the intention of export is also for higher prices. I also stand for remunerative prices. "Remunerative prices" means the cost of production plus some reasonable profit. But I am opposed to a development strategy based on higher and higher prices, because that cannot solve the problems of the overwhelming majority.

SHRI JAGESH DESAI: This is a contradiction.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Exactly, because your whole strategy is based on more and more prices and market philosophy, because only those who have a large surplus will get the benefit. But my strategy, my view, is....

SHRI JAGESH DESAI: Just a minute, Even today, that does not reflect the inflation. At present we are not giving them more by way of support prices. And inflation also is not reflected in that. Even last time, only a five per cent increase was there in the procurement prices whereas inflation was nine to 10 per cent. So, to say that by that we are increasing the prices is not correct.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: This document, in paragraph 4, has asked for a new orientation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly conclude.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: I am concluding, Sir, It has asked for a new orientation: "Realization of a prosperous and sustainable agricultural economy would require a new policy orientation." What does it demand ? "Efforts through a favourable price and trade regime." So, the whole strategy of development is based on prices and higher prices.

Sir, I come from a deficit State with regard to foodgrains. There in Kerala, always the prices of foodgrains are high, but these high prices of foodgrains have not attracted more private investment in paddy in Kerala. So this cannot be a

solution to all the problems. And who will get the benefit of all this? Of course, most part of the benefits will go to those who have more surplus. So what I requre is a policy, a development strategy, based on more and more social and State intervention. That is why I ask for land reform measures. I ask for more public investment in irrigation in power, in science and technolgoy, in fertilizer production etc. I also ask for more credit facilities for the poor and middle sections. I also ask for market protection for the poor and middle sections of the country. Now, the Governemt is giving up all these things. The Governement has reduced its investment in irrigation and power. The Government has reduced its investment in science and technolgoy. The Government has taken away the subsidies. The Government is increasing the power tariff and water tariff. The Government is taking all these measures. The Government is offering higher and highter prices. Of course, the basic approach of the Government is based on the price philosophy. I stand for more State intervention, more public investment, genuine land reforms, more credit facilities for the poor and middle sections, more market protection for the poor and middle sections and also for taking necessary steps for protecting the interests of agricultural workers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly conclude.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: This Agricultural Policy Resolution does not address itself to these problems. Hence, I oppose this Policy. I ask for total reversal of the Agricultural Policy.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रारूप कृषि नीति पर बोलने के लिए समय दिया है। महोदया, देश में यह पहली बार है कि एक क्रांतिकारी कृषि नीति का निर्धारण हुआ है जिसके कारण से हमारे देश के लगभग 65 करोड़ किसानों के जीवन में एक स्वर्ण युग का शुभारम्भ होगा और इसका श्रेय यदि हमारे किसान हितैषी कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ को दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी के मार्ग-निर्देशन में एक क्रांतिकारी कृषि नीति का निर्धारण किया है।

महोदया, जब ऐग्रीकल्चर पौलिसी का रिजोल्यूशन सबसे पहले 23 दिसम्बर, 1992 को बना और उस समय यह विचार हुआ, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें राज्य से संबंधित है और आपदा जैसी स्थिति को छोड़कर जो केन्द्र की भूमिका होती है वह कृषि के विकास और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की होती है। इसके अलावा यह विषय चूंकि राज्यों से संबंधित है इसलिए यह तय किया गया कि मुख्य मंत्रियों का भी इस संबंध में परामर्श ले लिया जाए और इसके लिए एक बैठक 5 मार्च, 93 को सम्पन्न हुई जिन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया और इस पर एक संशोधित प्रारूप 14 मई, 1993 को रखा गया। उस प्रारूप में यह सुनिश्चित किया गया कि कृषि के माध्यम से जो इनकम होती है उसको टेक्स कलेक्शन के रूप में न आंका जाए बल्कि यह देखे कि कृषकों को वह सारी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं जिन सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद हमारे देश का जो किसान है वह ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर सके। उसका कम से कम इनवेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वह ऐक्सपोर्ट कर सके और ऐक्सपोर्ट करने के लिए भी जितने इनसेन्टिव्ज दिए जा सकते हैं कृषि नीति में, उसका समावेश किया गया। यह भी ध्यान दिया गया कि कृषकों का जो आय का स्रोत है, उसमें बढ़ोत्तरी हो, कृषकों का जीवन-स्तर बेहतर हो सके और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब वे ऐक्सपोर्ट करें तो हमारे देश को भी फॉरन-ऐक्सचेंज अधिक से अधिक मिल सके।

मान्यवर, इस कृषि नीति में जिन बिन्दुओं का समावेश किया है, जिन सूत्रों का समावेश किया गया है, वह 14 है लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है, वह हमारे किसान भाइयों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली भावना है और यदि हम यह देखें कि जो ऐलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए तो हमें जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो राशि उपलब्ध थी, वह 3,437 करोड़ रुपए की थी लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 करोड़ की राशि इस एग्रीकल्चर प्रोग्राम में रखी गई है जो हमारी इस भावना का प्रतीक है कि न केवल हम मात्र कृषि नीति के दस्तावेज को यहां प्रस्तुत करना चाहते हैं बल्कि हम वे सारे साधन और वह सारी चीजें हमारे कृषकों को मुहैया करा सकते हैं जिनका पालन करने के बाद हमारे कृषकों

का जीवन-स्तर काफी सुधरेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसमें बढ़ेगा और इसका परिणाम भी अंततोगत्वा यही निकला कि जो हमारा प्रोडक्शन 1993-94 में 182.3 मिलियन टन था, वह 1994-95 में 186 मिलियन टन तक पहुंच गया। इसी प्रकार से फल और सब्जियों का जो प्रोडक्शन था, वह इस स्तर तक पहुंच गया कि हम विश्व में दूसरे दर्जे पर खड़े हो गए यानि विश्व में चीन और ब्राजील के बाद हमारा दूसरा स्थान आ गया। साथ ही जो मिल्क प्रोडक्शन था, वह जो 1970-71 में मात्र 22 मिलियन टन था, वह 1993-94 में बढ़ कर 60.8 मिलियन टन हो गया।

जो मैंने जिक्र किया था कि कृषि नीति का प्रारूप बनाते समय हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनका हमारे किसान भाई ऐक्सपोर्ट कर सकें, ऐसा हम नीति में समावेश करें तो उसका परिणाम भी निकला कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनका जो ऐक्सपोर्ट था 1993-94 में — 7,900 करोड़, उससे बढ़कर 10,809 करोड़ पहुंच गया और अगर हम इससे पहले का भी देखें तो 1990-91 में वह मात्र 4,700 करोड़ था। ये सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि हमने वह सारे कदम उठाए जिससे न केवल हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, न केवल हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, उनका ऐक्सपोर्ट बढ़ा बल्कि हमारे किसान भाइयों के जीवन-स्तर में भी बदलाव आया और इसी का परिणाम है कि जो कृषि नीति का उल्लेख किया है माननीय मंत्री जी ने, उसमें निश्चित रूप से इन सारी बातों का समावेश किया गया है जिससे कि बेरोजगारी, कुपोषण, ग्रामीण शिक्षा, खेतों से समुचित आमदनी प्राप्त न करने में जो खामियां रहती हैं, उन सब खामियों को दूर करने के इस कृषि नीति के पालन करने में उपाय किए जाएंगे। जो नई कृषि नीति है, उसके तहत जो खेत की चकबन्दी से संबंधित कानून है, उनको सख्ती से लागू करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, गैर-सरकारी संस्थानों की आवश्यक प्रोसेसिंग अभिकरण जैसी सुविधाओं का जिला स्तर पर समायोजन होना, जल संरक्षण, कृषि मूल्य की अच्छी कीमतें और खाद्यान्न वितरण जैसे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। और मुझे विश्वास है कि इसके समावेश से देश में कृषि उपज से लेकर निम्न स्तर तक उसके समुचित वितरण में किसी भी प्रकार की खामी नहीं होगी लेकिन साथ-साथ एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी, जो की किसानों के हितों को हमेशा दृष्टिगत रखते हैं, का विनम्रतापूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कृषि विकास पर जो खर्च किया जाता है, वह अन्य विकासशील देशों की तुलना में कुछ कम खर्च किया जाता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का करीब 0.09 प्रतिशत अनुसंधान और विकास पर अभी खर्च किया जाता है किन्तु यदि हम पुराने आंकड़े देखें तो 1981 में 1.03 प्रतिशत खर्च किया जाता था और 1958-59 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.23 प्रतिशत रहता था जो अब घटकर मात्र 0.09 प्रतिशत रह गया है। तो मुझे विश्वास है कि जब हम इस कृषि नीति के प्रारूप पर यहां चर्चा कर रहे हैं तो इस बिन्दु पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस कृषि नीति के प्रारूप में सैरीकल्चर के डैवलपमेंट के लिए, हॉर्टीकल्चर के डेवलपमैंट के लिए, टिशूकल्चर के इसटैब्लिशमैंट के लिए जो मैडीशनल प्लांट्स होते हैं, जो हर्बल गार्डन्स होते हैं, उनके उत्पादन के लिए इसमें विशेष उल्लेख किया गया है और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी ने जो ग्रामीण विकास को और ग्रामीण उत्थान को जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी है उससे निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। साथ ही जो अकालग्रस्त क्षेत्र विकास नीति, डी० पी० ए० पी० का इन्होंने इसमें जो उल्लेख किया है, वह एक सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है और जैसा कि मैंने डा० बलराम जाखड़ जी की प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था कि इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। ठीक वैसे ही यह जो डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम का जो समावेश इन्होंने इसमें किया है, वह विश्व की एक अनुकरणीय और सराहनीय नीति का निर्धारण किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम होगी। हमारे देश में जो नैसर्गिक साधन हैं, वह विपुल मात्रा में हैं। उनका सही ढंग से उपयोग हो सके, इसका उल्लेख भी इस नीति में किया गया है और गांवों में सीधे धन सही समय पर हमारे छोटे किसानों तक पहुंच सके और उन क्षेत्रों में पहुंचकर उसका समुचित प्रयोग हो सके, यह इन्होंने इसमें नीति निर्धारित की है। हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, वह हमारे देश की एक समस्या है। लेकिन जो अनाज का उत्पादन हो रहा है, वह और जो जनसंख्या का अनुपात है, यदि उसे देखा जाए तो वह लगभग समान है। तीन गुणा उसमें वृद्धि हो रही है लेकिन गरीबों के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, खासकर कृषकों के लिए, उन योजनाओं का, उन कार्यक्रमों का लाभ हमारे किसान भाइयों को पहुंच सके। उस लाभ से हमारे किसान भाई बिचौलियों के दुष्कर्मों से प्रभावित होकर कहीं उसका लाभ न ले सकें, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए जरूरी है कि जो स्थानीय सहकारी समितियां हैं, जो

वालैंटरी ऑरग्रान्इजेशन हैं, सेवाभावी संस्थाएं हैं और जो ग्रामीण उद्यमी हैं, उनकी सहायता लेकर और उनको पर्याप्त सहायता देकर हमें ग्रामीण विकास में उन्हें भागीदार बनाना होगा तभी हम कृषि में विकास को प्रोत्साहन दे पाएंगे और ग्रामीण जीवन का स्तर बेहतर हो पाएगा तथा रोजगारों का भी ज्यादा से ज्यादा सृजन कर पाएंगे। शहरों और गांवों में जो असमानता हो रही है, हम उस असमानता को भी दूर कर पाएंगे। जो कृषि नीति का सूत्र तीन है, उसमें कृषि जगत की समस्याओं का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि जो जमीन और जो उपजाऊ मिट्टी है वह पानी के साथ वह जाती है जहां ऐसी बारिश होती है, तो इस पर भी गम्भीरता से विचार की जरूरत है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि गांव में कुटीर उद्योग विकसित किये जायें, प्रत्येक प्रखंड पर हमारे प्रशिक्षित किसान नौजवान तैयार किये जायें ताकि जो हमारी नई कृषि नीति बन रही है उसमें माडर्न टेक्नोलोजी का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडेक्शन किया जा सके। डेरी का काम, मुर्गी पालन, शहद इकट्ठा करने का काम, फल और सब्जी आदि के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। साथ ही हमारे किसानों को सही समय पर खाद, बीज आदि उपलब्ध कराये जायें और हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो कृषि उत्पाद है उसका उनको सही मूल्य मिल सके इसके लिए जिला स्तर पर गोदाम आवश्यक रूप से बनाये जायें। यह बात नीति में निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि किसान अपनी पैदावार करता है लेकिन उसको अपनी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिलता। हमारे देश में 60 प्रतिशत से अधिक किसान ऐसे हैं जो या तो मध्यम किसान हैं या बिल्कुल लघु किसान हैं। वे रबी और खरीफ की फसल का उत्पादन करते हैं। वे एकदम उस फसल को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। होता क्या है कि जो बिचौलिये हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिस व्यवसाय का मैंने जिक्र किया, जिन सेठ साहूकारों का मैंने जिक्र किया वे कम कीमत पर उसको ले लेते हैं और अपने यहां रख लेते हैं और बाद में जब कीमत बढ़ती है तो बढ़े हुए दामों पर उसको बेच देते हैं। मैं जिस गोदाम का जिक्र कर रहा हूं जिला स्तर पर, वह इसी काम के लिए आवश्यक है ताकि किसान उस गोदाम में अपने कृषि उत्पादन को रख सकें और अपने पशु और परिवार का पालन पोषण कर सकें। जब उसकी कीमत बढ़े तो वे बढ़ी हुई कीमत पर उसको बेच सकें ताकि किसान को सही मूल्य मिल सकें। इसलिए गोदाम की स्थापना किया जाना सार्वजनिक हित में बहुत जरूरी है। सार्वजनिक हित में चारा कटाई यंत्र, पशु चिकित्सा संबंधी साधन, डेरी विकास और कृषि उत्पादन के साधन सब्सिडी पर उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है यद्यपि कई अच्छे प्रयास मंत्री महोदय ने किये भी हैं।

हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह कृषि से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में इजराइल की यात्रा करके आज ही लौटे हैं। इस संबंध में उन्होंने क्योंकि इजराइल में कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है इसलिए उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर वहां के लोगों से चर्चा की। जब हम कृषि नीति की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विकास के लिए जो समुचित कार्य हो रहे हैं उसके लिए केन्द्रीय सरकार अपना सहयोग प्रदान करे, ऐसा मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है।

दो-तीन बिंदुओं पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करूंगा। ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में कृषकों को सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है। कम राशि में, कम कीमत में सोलार एनर्जी किस ढंग से उपयोग की जाए, नूतन स्टोप का किस तरह से उपयोग किया जाए, कम बिजली की खपत पर कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हो सकता है उसकी जानकारी कृषकों को देना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रदेश में 5 हार्सपावर बिजली किसानों को फ्री देने का आश्वासन दिया है। किसानों को यदि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे तब वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेगा। लोगों को आश्चर्य हो रहा था जब हमने अपने घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया कि 5 हार्सपावर बिजली मध्य प्रदेश के किसानों को फ्री दी जायेगी। यह हमने करके दिखाया है। अन्य प्रदेश भी इस कार्य को करें यह अत्यंत आवश्यक है। हमारे किसान भाइयों को उन्नत बीज, अच्छे किस्म की खाद, बिजली सस्ती दर पर मिल सके, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कृषि नीति में जिन बातों का उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है उससे निश्चित रूप से हमारे देश के कृषकों को लाभ मिलेगा और उनकी जिन्दगी में एक आशा भरी नई शुरुआत होगी जिसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे कृषि मंत्री जी को जायेगा। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम: मेरा एक सुझाव है। इस सदन की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि पिछले तीन दिनों से बड़ी पवित्र और स्वस्थ बहस इस सदन में चल रही है और सदस्य लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। 5.30 बजने वाले हैं और इस पर 12 और सदस्य बोलने वाले हैं।

कल यह बहस जारी रहेगी, सदन को स्थगित किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No, no. It was decided in the business Advisory Committee that the House will sit up to six o' clock, and if required, it may sit beyond six o' clock. So, I cannot agree with what you said. No, I call Mr. O.S. Manian. He will speak in Tamil and it is his maiden speech.

*SHRI O S MANIAN (Tamilnadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I record my gratitude for the champion of social justice, the hon'ble Chief Minister of Tamilnadu Dr. Puratchi Thalaivi, because of whose benevolence I, hailing from a farmer's family, have the honour to be a Member of this august House.

Sir, agriculture is the back bone of our country and in reality, it is the farmers whose toil to make the nation progress. Only if farmers sweat out on the fields, we can get our food for sustenance. That is why the Bard of Universal man, Thiruvalluvar, in a grand treatise on morals called *Thirukkural*, Observes:

However they roam, the world must
follow still the plougher's team;
Though toilsome, culture of the ground
as noblest toil esteem.

It is a pity that farmers who labour hard all through the year to feed their follow citizens, live in utter misery and starvation. Farmers of our country are born in debt, live in debt and die in debt. Unless the centre takes effective steps to ameliorate the conditions of farmers, they will continue to suffer.

Although Five-year plans have been laying emphasis on green revolution, the woes of farmers have not decreased. Farmers have no status in the society and people are reluctant to get their daughters married to grooms who are engaged in farming. This is because people have come to believe that agriculture is a gamble in which profits are not assured. Agriculture is not a gainful profession and that is why farmers have to suffer a lot.

Sir, the price farmers get for their produce is far low to compensate the amount, time and energy they spend in producing it. Farmers growing paddy are the worst affected because, the prices of seeds, fertilizers and pesticides have gone up three times. For example a 50 Kg. bag of Di-ammonium phosphate is sold at Rs. 550. Even after deducting subsidy it comes to Rs. 505 a bag. Potash is sold for Rs. 285, complex 17-17-17 for Rs. 380, Urea for Rs. 172, and Super phosphate for Rs. 140 a bag. While 50 rupees subsidy is given on potash and complex, there is no subsidy for super phosphate and urea.

This is all because, the centre is not consulting states before taking crucial decisions on agriculture related matter. Even GATT agreement was signed without ascertaining the views of states. Farmers are still living in fear that the subsidy on fertilizers etc. could be withdrawn by the Government any time. I take this opportunity to appeal to the hon. Minister to give at least 25% subsidy on the total cost of fertilizers. Last year, there was acute shortage of urea and the farmers were put to lots of troubles at a time when they needed urea for their standing crops. This apart, crop insurance scheme should be thoroughly reviewed. Because this scheme, which is meant to save the farmers against crop damage due to floods, insects etc, is only beneficial to the insurance company.

Sir, I wish to mention as to how Tamilnadu Government is helping the farmers. Our hon'ble Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi, with a view to help the farmers, is giving free electricity for irrigation purposes. Since it is in the interest of the farming community and the larger interest of the nation the centre should not come in the way even to truncate this scheme. The remunerative prices of agricultural produces should

be fixed after taking into account the total amount, time and energy spent in producing it. Then alone agriculture will become profitable.

It is also the duty of the centre to see that middlemen and traders do not exploit both, the farmers and consumers by procuring agricultural produces at a very low price during harvest time and sell them at exorbitant rate later. Agricultural education should be included in school curriculam and the latest techniques in agriculture should be telecast through a separate channel. Short-term crops and high-yielding varieties should be made available for farmers to meet the ever increasing food requirement. Our late lamented leader Dr. M.G.R. sang:

Which natural resource is not there
in this country?
Why stretch our arms to
other countries for help?

It we have to cut down imports we have no option but to help our farmers to increase production. Our hon'ble Chief Minister of Tamilnadu, Dr. Puratchi Thalaivi has launched a programme for growing palm-trees in suitable areas. This commendable step will cut down palm-oil import in the coming years.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in the larger interest of the nation, we have been demanding for linking Ganga and Cauvery for several years. Such a thing would indeed, be a symbol of national integration. But the centre has done nothing on the matter. Our hon. Chief Minister of Tamilnadu, Dr. Puratchi Thalaivi went on 82 hours fast demanding the due share of Cauvery water. The centre should see that the interim award of the Tribunal is executed without fail.

While implementing new agriculture policy, the centre should keep in mind that the interest of the farmers do not suffer. With these words I conclude.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri N. Giri Prasad. Kindly be brief. Your party's time is 5 minutes.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Will this debate be concluded today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No. It is not going to be concluded today. But some of the parties have exhausted their time.

SHRI N. GIRI PRASAD: The Deputy Chairman announced in the House that at 5.30 P.M. we would take up Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We will continue tomorrow. But you can speak now. There are only three or four Special Mentions. We can adjust them also.

SHRI G. SWAMINATHAN: You adjust them, Sir. Till what time are we sitting?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We will sit up to 6 o'clock and if the House agrees, beyond 6 o'clock. That was decided by the Business Advisory Committee.

SHRI G. SWAMINATHAN: Now it is 5.30 P.M. I think it is better that you start the Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I know that also. But let him speak.

SHRI N. GIRI PRASAD: Mr. Vice-Chairman, Sir, for the first time, we are discussing this Agricultural Policy. Though it was announced some years back by the Government, neither the Parliament nor the Government was interested in discussing this vital issue before coming to grips with the problems. Sir, before I come to the main subject, I would like to know from the hon. Minister whether the Punjab Government under the Congress leadership has decided to remove the ceilings on agricultural lands. This is what I read in the

newspapers a few days back. The Minister has protested against this reference and said that the ceilings would be enforced. That is why I am compelled to put this question. *(Interruptions)*. The Punjab Government has decided to remove the ceilings on agricultural lands. This is the statement. It would be in the interest of the Congress party, in the interest of the country and in the interest of everybody if they do not pursue with what they have decided because it is the reversal of policies adopted by the Parliament and by the State Governments. Anyhow, I would request the Minister to consult the Chief Minister. While replying to the debate the Minister can clarify this point. If one State Government starts this way, the other State Governments also might do a similar thing. Moreover, this has come out of your own Draft Resolution. This Resolution does not mention anything about the land reforms except involving marginal and poor farmers. That means they might be having a scheme to help them to some extent. That is not objectionable. But, what about the imposition of land ceilings? In many States it has not been implemented fully. The problem still persists. In spite of the Communists and many other anti-feudal sections.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) IN THE CHAIR) fighting for such land reforms, this policy statement has not said anything about the past experience in regard to the implementation of the land reforms and about the future programme. It requires a clarification and also a policy pronouncement in such vital matters.

For the last several years the strategy of the Government has mainly remained dependent on monsoon. For the last seven years, it has been said that the monsoons were very favourable and the agricultural production was also favourable. It was our fortune. I have no grumbling on that issue.

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, it is already 5.30 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Let him finish.

SHRI ISH DUTT YADAV: Sir, he can continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Prasad, how much time will you take?

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, he has just started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Prasad, you can continue tomorrow.

SHRI N. GIRI PRASAD: Okay, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we will take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS—CONTD.

DELAY IN REVIVAL OF TYRE CORPORATION OF INDIA LIMITED.

.....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I would like to bring to the notice of the House the sad plight of one of the Central public sector undertakings, the Tyre Corporation of India under the Ministry of Industry. This Company was referred to the BIFR in 1992.

So far as the revival of sick companies is concerned, the final decision is vested in the BIFR. In January, 1995 a Draft Rehabilitation Plan was circulated by the BIFR and all parties, except the Government of India, had accepted it. After dilly-dallying with this proposal for six months, in the month of April the Draft Rehabilitation Plan, circulated by the BIFR, was sent back to the BIFR for review. For the last three years this Company is suffering for want of working capital.

In one of the units where tyres are being manufactured, the Government of